

आर्ट हाउसिंग फाइनेंस (भारत) लिमिटेड

अपने ग्राहक [केवाईसी] और एंटी मनी लॉन्चिंग (एएमल)
उपायों की नीति को जानें

संशोधन 15 मार्च, 2024 से प्रभावी

विषय सूची

क्र. स.	विशिष्ट	पृष्ठ संख्या
1	परिचय	4
2	अध्याय - I प्रयोज्यता और परिभाषाएँ	5-12
3	अध्याय – II सामान्य	13-14
4	अध्याय – III ग्राहक स्वीकृति नीति	15

5	अध्याय - IV जोखिम वर्गीकरण और प्रबंधन	16-17
6	अध्याय – V ग्राहक पहचान प्रक्रिया (सीआईपी)	18
7	अध्याय – VI ग्राहक ड्यू डिलिजेंस (सीडीडी) प्रक्रिया: भाग I - व्यक्तियों के मामले में ग्राहक ड्यू डिलिजेंस (सीडीडी) प्रक्रिया भाग II - एकल स्वामित्व वाली फर्मों के लिए सीडीडी उपाय भाग III - कानूनी संस्थाओं के लिए सीडीडी उपाय भाग IV - लाभकारी स्वामी की पहचान भाग V - चल रहा उचित परिश्रम भाग VI - संवर्धित और सरलीकृत उचित परिश्रम प्रक्रिया	19-23
8	अध्याय – VII रिकॉर्ड प्रबंधन	23-24
9	अध्याय – VIII वित्तीय खुफिया इकाई को रिपोर्ट करने की आवश्यकताएं – भारत	24-26
10	अध्याय – IX अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत आवश्यकताएँ/दायित्व	26-29
11	अध्याय – X अन्य निर्देश	29-32
12	अनुबंध I डिजिटल केवाईसी प्रक्रिया	33-34
13	अनुबंध II अतिरिक्त केवाईसी दस्तावेजों की सूची जिन पर कम जोखिम वाली श्रेणी के ग्राहकों के लिए विचार किया जा सकता है	35-39
14	अनुलग्नक III सीटीआर/एसटीआर लेनदेन की सचित्र सूची	40-46
		47-48
		49-51
		52-53

आर्ट हाउसिंग फाइनेंस (इंडिया) लिमिटेड

अपने ग्राहक को जानें [केवाईसी] और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल)
उपाय नीति (संशोधित)

1. परिचय

कंपनी, आर्ट हाउसिंग फाइनेंस (इंडिया) लिमिटेड (एएचएफएल) को वर्ष २०१३ में शामिल किया गया था और राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) के साथ पंजीकृत किया गया था। कंपनी ने एनएचबी की आवश्यकताओं के अनुसार केवाईसी और एएमएल नीति (नीति) को अपनाया है, साथ ही कंपनी के निदेशक मंडल के अनुमोदन के साथ समय - समय पर इस नीति को संशोधित और संशोधित किया है।

यह नीति शुरू में सर्वश्रेष्ठ कॉर्पोरेट प्रथाओं के हिस्से के रूप में अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) दिशानिर्देशों और एंटी - मनी लॉन्ड्रिंग मानकों पर एनएचबी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार तैयार की गई थी।

इसके अलावा, निदेशक मंडल ने 5 सितंबर, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में नीति की समीक्षा, संशोधन, और विधिवत मंजूरी दी, जो परिपत्र संख्या RBI/2021-22/35 DOR.AML.REC. No.15/14.01.001/2021-22 के तहत अपडेट की गई है, जिसमें KYC पर मास्टर डायरेक्शन (MD) के संबंध में संशोधन किया गया था, जो 4 मई, 2023 को जारी किया गया था।

इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित धन - शोधन निवारण अधिनियम, २००२ और धन - शोधन निवारण (रिकॉर्ड का रखरखाव) नियम, २००५ (समय - समय पर संशोधित) के प्रावधानों के संदर्भ में, कंपनी को खाता - आधारित संबंध स्थापित करके या अन्यथा लेन - देन करते हुए और उनके लेनदेन की निगरानी करते हुए कुछ ग्राहक पहचान प्रक्रियाओं का पालन करना आवश्यक था। एएचएफएल धन - शोधन निवारण अधिनियम, २००२ और धन - शोधन निवारण (रिकॉर्ड का रखरखाव) नियम, २००५ के प्रावधानों को लागू करने के लिए कदम उठाएगा, जैसा कि समय - समय पर लागू और संशोधित किया जाता है। इस प्रकार, इस नीति को ग्राहकों और उनके वित्तीय व्यवहारों को बेहतर ढंग से जानने/समझने के लिए तैयार किया गया है जो बदले में कंपनी को उनके जोखिमों को समझदारी से प्रबंधित करने और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों के लिए आपराधिक तत्वों द्वारा उपयोग किए जाने से बचने में मदद करेगा।

इस नीति को अब भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा परिचालित नवीनतम संशोधनों के अनुसार संशोधित किया जा रहा है। मास्टर डायरेक्शन डीबीआर.एएमएल.बीसी.नं.८१/१४.०१.००१/२०१५-१६ को ४ मई, २०२३ को अपडेट किया गया, ताकि इस तरह के संशोधन के अनुसरण में जारी किए गए परिचालन निर्देशों सहित अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) दिशा - निर्देश, २०१६ ("केवाईसी/दिशा - निर्देशों पर मास्टर दिशा - निर्देश") पर आरबीआई मास्टर दिशा - निर्देशों के पूर्वोक्त प्रावधानों के अनुसार आवश्यक अपडेट किए जा सकें। यह नीति बोर्ड के अनुमोदन की तारीख से तकाल प्रभाव से प्रभावी होगी।

अध्याय-१ प्रयोज्यता और परिभाषाएँ

1. प्रयोज्यता

यह नीति आरबीआई के मास्टर निर्देशों के अनुसार बनाई गई है और कंपनी के वर्तमान चालन के अनुसार संभव सीमा तक कंपनी पर लागू होती है।

1. परिभाषाएँ

नीति के प्रयोजनों के लिए, जब तक कि संदर्भ की अन्यथा आवश्यकता न हो, यहां दी गई शर्तें धन - शोधन निवारण (रिकॉर्ड का रखरखाव) नियम, 2005 के साथ पढ़े गए धन - शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के निर्देशों में उन्हें सौंपे गए अर्थों को वहन करेंगी। उदाहरण के लिए, इस नीति के संदर्भ में, निम्नलिखित शर्तों के असाइन किए गए अर्थ होंगे (निर्देशों, अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अधीन) :

- i. "आधार संख्या" का अर्थ 2016 के आधार (लक्षित वित्तीय और अन्य उपदान, लाभ और सेवाओं की पहुंच) अधिनियम की धारा 2 के अनुच्छेद (a) में निर्दिष्ट किया गया है।
- ii. "अधिनियम" और "नियम" का अर्थ है धन - शोधन निवारण अधिनियम, 2002 और धन - शोधन निवारण (रिकॉर्ड का रखरखाव) नियम, 2005, क्रमशः और उसमें संशोधन।
- iii. आधार प्रमाणीकरण के संदर्भ में "प्रमाणीकरण" का अर्थ है आधार (वित्तीय और अन्य सक्षिप्ती, लाभ और सेवाओं की लक्षित डिलीवरी) अधिनियम, 2016 की धारा 2 की उप - धारा (सी) के तहत परिभाषित प्रक्रिया।
- iv. लाभकारी मालिक (बीओ) :-
 - a. जहां ग्राहक एक कंपनी है, लाभकारी मालिक प्राकृतिक व्यक्ति है, जो अकेले या एक साथ, या एक या अधिक न्यायिक व्यक्तियों के माध्यम से कार्य कर रहा है, नियंत्रण स्वामित्व हित रखता है या जो अन्य माध्यमों से नियंत्रण का प्रयोग करता है।

स्पष्टीकरण - इस उप - खंड के प्रयोजन के लिए -

"स्वामित्व हित को नियंत्रित करना" का अर्थ कंपनी के 10 प्रतिशत से अधिक शेयरों या पूँजी या मुनाफे का स्वामित्व/हकदार होना है।

1. नियंत्रण" में अधिकांश निदेशकों को नियुक्त करने या उनके शेयरधारिता या प्रबंधन अधिकारों या शेयरधारकों के समझौतों या मतदान समझौतों के आधार पर प्रबंधन या नीतिगत निर्णयों को नियंत्रित करने का अधिकार शामिल होगा।
- b. जहां ग्राहक एक साझेदारी कंपनी है, वहां लाभकारी मालिक प्राकृतिक व्यक्ति होता है, जो, अकेले या साथ में, या एक या एक से अधिक व्यावसायिक व्यक्तियों के माध्यम से, साझेदारी के पूँजी या लाभ का 15 प्रतिशत से अधिक स्वामित्व/हकदार है।
- c. जहां ग्राहक एक अप्राकृतिक संघ या व्यक्तियों का समूह है, वहां लाभकारी मालिक वह प्राकृतिक व्यक्ति होता है, जो, अकेले या साथ में, या एक या एक से अधिक व्यावसायिक व्यक्ति के माध्यम से, असंगठित संघ या व्यक्तियों के संपत्ति या पूँजी या लाभ का 15 प्रतिशत से अधिक स्वामित्व या अधिकार है।

स्पष्टीकरण: 'व्यक्तियों का निकाय' शब्द में समाज शामिल हैं। जहां (a), (b) या (c) में कोई प्राकृतिक व्यक्ति निर्दिष्ट नहीं है, तो लाभकारी मालिक उस संबंधित प्राकृतिक व्यक्ति होता है जो वरिष्ठ प्रबंध अधिकारी का पद रखता है।

d. जहां ग्राहक एक विश्वास है, लाभकारी मालिकों की पहचान में विश्वास के लेखक, ट्रस्टी, ट्रस्ट में 10% या अधिक रूचि रखने वाले लाभार्थियों की पहचान और नियंत्रण या स्वामित्व के संशोधन के माध्यम से ट्रस्ट पर अंतिम प्रभावी नियंत्रण रखने वाले किसी भी अन्य प्राकृतिक व्यक्ति की पहचान शामिल होगी।

- v. "प्रमाणित प्रति" - कंपनी द्वारा प्रमाणित प्रति प्राप्त करने का अर्थ आधार संख्या के कब्जे के प्रमाण की प्रति की तुलना करना होगा जहां ऑफलाइन सत्यापन नहीं किया जा सकता है या ग्राहक द्वारा मूल के साथ आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज तैयार किया जा सकता है और अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार कंपनी के अधिकृत अधिकारी द्वारा उसी प्रति को रिकॉर्ड किया जा सकता है।

बशर्ते कि अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) और भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ) के मामले

में, जैसा कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन (जमा) विनियम, २०१६ में परिभाषित किया गया है, वैकल्पिक रूप से, निम्नलिखित में से किसी एक द्वारा प्रमाणित मूल प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है:

- भारत में पंजीकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की विदेशी शाखाओं के अधिकृत अधिकारी,
 - विदेशी बैंकों की शाखाएं जिनके साथ भारतीय बैंकों के संबंध हैं,
 - विदेश में नोटरी पब्लिक,
 - कोर्ट मजिस्ट्रेट,
 - न्यायाधीश,
 - उस देश में भारतीय दूतावास/महावाणिज्य दूतावास जहां अनिवासी ग्राहक रहता है।
- vi.** "सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री" (सीकेवाईसीआर) का अर्थ है नियमों के नियम २(१) के तहत परिभाषित एक इकाई, जो ग्राहक के डिजिटल रूप में केवाईसी रिकॉर्ड प्राप्त करने, संग्रहीत करने, सुरक्षित रखने और पुनर्प्राप्त करने के लिए है।
- vii.** "नियुक्त निदेशक" का अर्थ कंपनी द्वारा एक व्यक्ति का नियुक्त करना होता है जो धारा IV के अन्तर्गत प्रयोजित दायित्वों का समूह का सम्पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए है और नियम और नियमों द्वारा स्थापित किया जाता है और निर्देशक मंडल द्वारा योग्यता स्वीकृत की गई होगी। स्पष्टीकरण - इस शर्त के लिए, "प्रबंध निदेशक" और "समय-पूर्ण निदेशक" शब्दों का अर्थ उन्हें कम्पनियों अधिनियम, 2013 में सौंपा गया है।
- viii.** डिजिटल केवाईसी" का अर्थ है ग्राहक की लाइव फोटो कैप्चर करना और आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज या आधार के कब्जे का प्रमाण, जहां ऑफलाइन सत्यापन नहीं किया जा सकता है, उस स्थान के अक्षांश और देशांतर के साथ जहां अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार कंपनी के एक अधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसी लाइव फोटो ली जा रही है।
- ix.** "डिजिटल हस्ताक्षर" का अर्थ है जैसा कि "जानकारी प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000" (21 से 2000) के अनुभाग (2) की धारा (1) के उपर्युक्त (p) में उपयुक्त किया गया है।
- x.** समतुल्य ई-दस्तावेज़" का अर्थ है सूचना प्रौद्योगिकी (डिजिटल लॉकर सुविधाएं प्रदान करने वाले मध्यस्थों द्वारा सूचना का संरक्षण और प्रतिधारण) नियम, २०१६ के नियम ९ के अनुसार ग्राहक के डिजिटल लॉकर खाते में जारी दस्तावेजों सहित अपने वैध डिजिटल हस्ताक्षर के साथ ऐसे दस्तावेज़ के जारी करने वाले प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए दस्तावेज़ का एक इलेक्ट्रॉनिक समकक्ष।
- xi.** "समूह" - "समूह" शब्द का अर्थ धारा (9) के उपर्युक्त (e) में आयकर अधिनियम, 1961 (43 से 1961) की धारा 286 में निर्धारित किया गया है।
- xii.** ग्राहक को जानें (KYC) पहचानकर्ता" का अर्थ है केंद्रीय जानकारी पर साक्षात्कार रिकॉर्ड रजिस्ट्री द्वारा एक ग्राहक को सौंपे गए अद्वितीय संख्या या कोड।
- xiii.** "गैर-लाभकारी संगठन" (एनपीओ) का अर्थ है किसी भी एक संस्था या संगठन, जो धारा (15) के अध्याधिकार में संदर्भित धारा 2 के उपर्युक्त में उल्लिखित धारा 1961 के आयकर अधिनियम, 1861 के समाजों के पंजीकरण अधिनियम के तहत एक विश्वास या सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है या किसी भी समकक्ष राज्य विधान में या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम 8) के धारा के तहत पंजीकृत कंपनी है।
- xiv.** आधिकारिक वैध दस्तावेज़" (ओवीडी) का अर्थ है पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार संख्या के स्वामित्व का प्रमाण, भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जारी वोटर पहचान पत्र, NREGA द्वारा जारी नौकरी कार्ड जिसे राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा सही किया गया है और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी पत्र, जिसमें नाम और पते का विवरण हो।

बशर्ते कि,

a. जहाँ ग्राहक अपनी आधार संख्या के स्वामित्व का प्रमाण ओवीडी के रूप में जमा करता है, वह उसे भारत की अद्वितीय पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए रूप में जमा कर सकता है।

b. यहाँ यदि ग्राहक द्वारा प्रस्तुत किए गए ओवीडी में अपडेटेड पता नहीं है, तो निम्नलिखित दस्तावेज़ या उसके समकक्ष ई-दस्तावेज़ को पता के सबूत के सीमित उद्देश्यों के लिए ओवीडी माना जाएगा:-

- i.** किसी भी सेवा प्रदाता (बिजली, टेलीफोन, पोस्ट-पेड मोबाइल फोन, पाइप गैस, पानी बिल) का यूटिलिटी बिल, जो दो महीने से अधिक पुराना नहीं है।
- ii.** संपत्ति या नगरपालिका कर रसीद;
- iii.** सरकारी विभागों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जारी पेंशन या पारिवारिक पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ), यदि उनमें पता है;
- iv.** राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार के विभागों, विधायी या नियामक निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को आवास का आवंटन पत्र, और ऐसे कार्यों के साथ अधिकारिक आवास आवंटन करने वाले रोजगार संबंधित।"
- c.** ग्राहक को 'बी' में निर्दिष्ट दस्तावेज़ सबमिट करने के तीन महीने के भीतर वर्तमान पते के साथ ओवीडी प्रस्तुत करना होगा।
- d.** जहाँ किसी विदेशी नागरिक द्वारा पेश की गई ओवीडी में पते के विवरण न हो, उस मामले में विदेशी क्षेत्रों के सरकारी विभागों द्वारा जारी दस्तावेज़ और भारत में विदेशी दूतावास या मिशन द्वारा जारी पत्र को पते का सबूत माना जाएगा।

स्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोजन के लिए, एक दस्तावेज़ को एक ओवीडी माना जाएगा, भले ही इसके जारी होने के बाद नाम में कोई परिवर्तन हो, बर्तेर्यह राज्य सरकार द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र या राजपत्र अधिसूचना द्वारा समर्थित हो, जो इस तरह के नाम के परिवर्तन का संकेत देता है।

xv. "ऑफलाइन सत्यापन" का वही अर्थ होगा जो इसे आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं की लक्षित डिलीवरी) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 2 के खंड (पीए) में सौंपा गया है।

xvi. 'व्यक्ति' का उसी अर्थ होगा जो क्रानून में निर्धारित किया गया हो, और इसमें शामिल है:

- एक व्यक्ति,
- b. एक हिन्दू सम्प्रदायिक परिवार,
 - c. एक कंपनी,
 - d. एक कारोबार फर्म,
 - e. व्यक्तियों का एक संघ या एक संघ, चाहे वह सम्मिलित हो या न हो
 - f. प्रत्येक कृत्रिम कानूनी व्यक्ति, जो उपरोक्त (a से e) किसी भी व्यक्ति के अंतर्गत नहीं पड़ता है, और
 - g. उपरोक्त (a से f) में से किसी भी व्यक्ति द्वारा स्वामित्व या नियंत्रित किया गया कोई एजेंसी, कार्यालय या शाखा।

xvii. 'मुख्य अधिकारी' का अर्थ कंपनी द्वारा नामित एक अधिकारी होता है, जो नियम 8 के अनुसार जानकारी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होता है।

xviii. 'संदिग्ध लेन - देन' का अर्थ है एक "लेन - देन" जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है, जिसमें एक प्रयास - लेन - देन शामिल है, चाहे नकद में किया गया हो या नहीं, जो, सद्व्यवहार से कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए:

- a. उसे संदेह की एक योग्य आधारित सम्भावना पैदा होती है कि यह अपराध अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट अपराध के आय पर शामिल हो सकता है, चाहे शामिल माने गए रकम की मात्रता हो या न हो।

- b. ऐसे परिस्थितियों में बनता है जो असामान्य या अन्यायपूर्ण जटिलता के हो सकते हैं।
- c. ऐसा प्रतीत होता है कि इसका कोई आर्थिक औचित्य या ठोस उद्देश्य नहीं है; या
- d. संदेह के एक उचित आधार को जन्म देता है कि इसमें आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों का वित्तपोषण शामिल हो सकता है।

स्पष्टीकरण - आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों के वित्तपोषण से जुड़े लेन - देन में आतंकवाद, आतंकवादी कृत्यों या आतंकवादी, आतंकवादी संगठन या जो लोग आतंकवाद को वित्तपोषित करते हैं या वित्तपोषण करने का प्रयास कर रहे हैं, से जुड़े या उससे संबंधित होने के संदेह में शामिल धनराशि का लेन - देन शामिल है।

xix. 'लघु खाता' का अर्थ है एक बचत खाता जो पीएमएलरूल्स, २००५ के उप - नियम (५) के संदर्भ में खोला गया है। एक छोटे खाते के संचालन और ऐसे खाते के लिए प्रयोग किए जाने वाले नियंत्रणों का विवरण आरबीआई मास्टर निर्देशों की धारा २३ में निर्दिष्ट किया गया है।

xx. "लेन-देन" का अर्थ है एक खरीद, बिक्री, ऋण, गिरवी, उपहार, स्थानांतरण, वितरण, या व्यवस्था, जिसमें शामिल हैं:

- a. खाता खोलना;
- b. किसी भी मुद्रा में धनराशि जमा करना, निकालना, विनिमय करना या स्थानांतरित करना, चाहे वह नकद हो या चेक, भुगतान आदेश या अन्य उपकरण या इलेक्ट्रॉनिक या अन्य गैर-भौतिक माध्यम से;
- c. सुरक्षा जमा बॉक्स या किसी अन्य प्रकार के सुरक्षित जमा का उपयोग
- d. किसी भरोसेमंदी रिश्ते में प्रवेश;
- e. किसी भी ठेकेदारी या किसी अन्य कानूनी दायित्व के लिए पूर्ण या आंशिक रूप से किया गया या प्राप्त किया गया कोई भी भुगतान; या
- f. किसी कानूनी व्यक्ति या कानूनी व्यवस्था को स्थापित या बनाया जाना।

xxi. वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया (वी-सीआईपी)" का मतलब है एक विकल्पित ग्राहक पहचान की प्रक्रिया, जिसमें उपयोगकर्ता की पहचान चेहरे की पहचान के माध्यम से होती है और ग्राहक के लिए समाज द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा सुरक्षित, लाइव, जानकारी द्वारा सहमति आधारित ऑडियो-विजुअल इंटरैक्शन के माध्यम से संचालित की जाती है, ग्राहक के पहचान जानकारी प्राप्त करने के लिए जो CDD उद्देश्य के लिए आवश्यक है, और ग्राहक द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी की सत्यापन करने के लिए स्वतंत्र सत्यापन द्वारा और प्रक्रिया के लिए ऑडिट ट्रैल का अनुरोध करने के माध्यम से द्वारा समाप्त होती है। ऐसे प्रक्रियाएँ निर्धारित मानकों और प्रक्रियाओं का पालन करती हैं और मास्टर निर्देश के उद्देश्य के लिए चेहरे से चेहरे सीआईपी के साथ समान रूप से काम की जाती है।"

केवाईसी पर मास्टर दिशा - निर्देशों में असाइन किए गए अर्थ वाले शब्द, जब तक कि संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो, नीचे उन्हें असाइन किए गए अर्थों को वहन करेंगे:

- i. "सामान्य रिपोर्टिंग मानक" (सीआरएस) का अर्थ है कर संबंधी प्रशासनिक सहायता पर संधि के अनुसार आर्टिकल 6 के आधार पर सूचना का स्वचालित आदान-प्रदान करने के लिए हस्तांतरण संधि में संलग्न किया गया है।
- ii. "ग्राहक" का अर्थ है एक व्यक्ति जो कंपनी के साथ वित्तीय लेनदेन या गतिविधि में लगा हुआ है और इसमें एक व्यक्ति शामिल है जिसकी ओर से वह व्यक्ति जो लेनदेन या गतिविधि में लगा हुआ है, कार्य कर रहा है।
- iii. "वॉक-इन कस्टमर" का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जिसका कंपनी के साथ खाता - आधारित संबंध नहीं है, लेकिन कंपनी के साथ लेनदेन करता है।
- iv. "कस्टमर ड्यू डिलिजेंस (सीडीडी)" का अर्थ है ग्राहक की पहचान और लाभकारी मालिक की पहचान और प्रमाणित करना होता है।
- v. "ग्राहक पहचान" का अर्थ CDD की प्रक्रिया का अंगीकरण करना है।

- vi. "एफएटीसीए" का अर्थ है संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) का विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम, जिसके लिए अन्य बातों के साथ - साथ, विदेशी वित्तीय संस्थानों को वित्तीय खातों के बारे में रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है। अमेरिकी करदाता या विदेशी संस्थाएँ जिनमें अमेरिकी करदाता पर्याप्त स्वामित्व हित रखते हैं।
- vii. "IGA" का मतलब भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के सरकारों के बीच अंतर सरकारी समझौता है, जो अंतर्राष्ट्रीय कर अनुपालन को सुधारने और संयुक्त राज्य अमेरिका के FATCA को कार्यान्वित करने के लिए किया गया है।
- viii. "KYC टेम्पलेट" व्यक्तियों और कानूनी एकाइयों के लिए KYC डेटा को एकत्र करने और सीकेवाईसीआर को रिपोर्ट करने को सुगम बनाने के लिए तैयार किए गए टेम्पलेट्स।
- ix. "नॉन-फेस-टू-फेस ग्राहक" का अर्थ उन ग्राहकों से है जो कंपनी के शाखा/कार्यालयों में गए बिना या कंपनी के अधिकारियों से मिले बिना ऋण खाते खोलते हैं।
- x. "ऑन गोइंग देय डिजिलेंस" का अर्थ ऋण खातों में लेन-देनों का नियमित मॉनिटरिंग करना होता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे ग्राहकों की प्रोफाइल और निधि के स्रोत के साथ संगत हैं।
- xi. "आवधिक अद्यतन" का अर्थ है यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम कि सीडीडी प्रक्रिया के तहत एकत्र किए गए दस्तावेज, डेटा या जानकारी को रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित आवधिकता पर मौजूदा रिकॉर्ड की समीक्षा करके अद्यतित और प्रासंगिक रखा गया है।
- xii. "शैल बैंक" एक बैंक को कहा जाता है जो ऐसे देश में नियमित होता है जहाँ इसकी कोई शारीरिक उपस्थिति नहीं होती है और किसी भी नियमित वित्तीय विनियमित वित्तीय समूह से जुड़ा नहीं है।
- xiii. "वायर ट्रांसफर" का अर्थ है एक बैंक में लाभार्थी व्यक्ति को धनराशि उपलब्ध कराने की वृष्टि से इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से एक बैंक के माध्यम से एक प्रवर्तक व्यक्ति (प्राकृतिक और कानूनी दोनों) की ओर से सीधे या हस्तांतरण की एक श्रृंखला के माध्यम से किया गया लेनदेन, और कंपनी के वाईसी पर मास्टर निर्देशों के पैरा 64 के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
- xiv. "डोमेस्टिक और क्रॉस-बॉर्डर वायर ट्रांसफर: जब प्रवर्तक बैंक और लाभार्थी बैंक एक ही व्यक्ति या एक ही देश में स्थित अलग - अलग व्यक्ति हैं, तो ऐसा लेनदेन एक डोमेस्टिक वायर ट्रांसफर है, और यदि 'प्रवर्तक बैंक' या 'लाभार्थी बैंक' विभिन्न देशों में स्थित है तो ऐसा लेनदेन क्रॉस-बॉर्डर वायर ट्रांसफर है।
- xv. "वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया (वी - सीआईपी)": सीडीडी उद्देश्य के लिए आवश्यक पहचान जानकारी प्राप्त करने के लिए ग्राहक के साथ निर्बाध, सुरक्षित, लाइव, सूचित - सहमति आधारित ऑडियो - विजुअल बातचीत करके और स्वतंत्र सत्यापन और प्रक्रिया के ऑडिट ट्रैल को बनाए रखने के माध्यम से ग्राहक द्वारा प्रस्तुत जानकारी की सत्यता का पता लगाने के लिए कंपनी के एक अधिकृत अधिकारी द्वारा चेहरे की पहचान और ग्राहक के उचित परिश्रम के साथ ग्राहक की पहचान का एक वैकल्पिक तरीका। इस मास्टर दिशा के उद्देश्य के लिए निर्धारित मानकों और प्रक्रियाओं का पालन करने वाली ऐसी प्रक्रियाओं को आमने - सामने सीआईपी के बराबर माना जाएगा।
- xvi. "वायर ट्रांसफर" संबंधित परिभाषाएँ:
 - a. बैच ट्रांसफर: बैच ट्रांसफर एक संग्रह है जो कई व्यक्तिगत वायर ट्रांसफरों से मिलकर बनता है जो समान वित्तीय संस्थानों को भेजे जा रहे हैं, लेकिन अंत में अलग-अलग व्यक्तियों के लिए हो सकते हैं या नहीं।
 - b. लाभार्थी: लाभार्थी एक प्राकृतिक या कानूनी व्यक्ति या कानूनी व्यवस्था को संदर्भित करता है जो /जिसे मूलकर्ता द्वारा अनुरोधित वायर ट्रांसफर के रिसीवर के रूप में पहचाना जाता है।

- c. लाभार्थी आरई: यह वित्तीय संस्था को संदर्भित करता है, जो आरबीआई द्वारा नियंत्रित होती है, जो वित्तीय संस्था से वायर ट्रांसफर को सीधे या कंपनी के एक माध्यस्थ के माध्यम से प्राप्त करती है और लाभार्थी को धनराशि उपलब्ध कराती है।
- d. कवर भुगतान: कवर भुगतान एक वायर ट्रांसफर को संदर्भित करता है जो ऑर्डर करने वाले वित्तीय संस्थान द्वारा सीधे लाभार्थी वित्तीय संस्थान को भेजे गए भुगतान संदेश को एक या अधिक मध्यस्थ वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऑर्डर करने वाले वित्तीय संस्थान से लाभार्थी वित्तीय संस्थान को फंडिंग निर्देश (कवर) के मार्ग के साथ जोड़ता है।
- e. क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर: बॉर्डर वायर ट्रांसफर किसी भी वायर ट्रांसफर को संदर्भित करता है जहाँ ऑर्डरिंग वित्तीय संस्थान और लाभार्थी वित्तीय संस्थान विभिन्न देशों में स्थित हैं। यह शब्द वायर ट्रांसफर की किसी भी श्रृंखला को भी संदर्भित करता है जिसमें शामिल वित्तीय संस्थानों में से कम से कम एक अलग देश में स्थित है।
- f. डोमेस्टिक वायर ट्रांसफर: डोमेस्टिक वायर ट्रांसफर उसे संदर्भित करता है जहाँ प्रारंभक वित्तीय संस्थान और लाभार्थी वित्तीय संस्थान भारत में स्थित होते हैं। इसलिए, यह शब्द उस वायर ट्रांसफर को संदर्भित करता है जो पूरी तरह से भारत की सीमाओं के अंदर होता है, हालांकि भुगतान संदेश को स्थानांतरित करने का प्रणाली किसी अन्य देश में स्थित हो सकता है।
- g. वित्तीय संस्थान: वायर - ट्रांसफर निर्देशों के संदर्भ में, 'वित्तीय संस्थान' शब्द का वही अर्थ होगा जो एफएटीएफ सिफारिशों में समय - समय पर संशोधित किया गया है।
- h. इंटरमीडिएरी आरई: इंटरमीडिएरी आरई एक वित्तीय संस्था या रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित किसी अन्य संस्था को संदर्भित करता है जो वायर ट्रांसफर के एक माध्यस्थ तत्व का संचालन करता है, एक अदायगी या कवर पेमेंट श्रृंखला में, और कंपनी और लाभार्थी आरई, या एक और मध्यस्थ वित्तीय संस्था के लिए एक वायर ट्रांसफर को प्राप्त और प्रेषित करता है।
- i. ओरिजिनेटर: ओरिजिनेटर से तात्पर्य उस अकाउंट होल्डर से है, जो उस अकाउंट से वायर ट्रांसफर की इजाजत देता है, या जहाँ कोई अकाउंट नहीं है, वह प्राकृतिक या कानूनी व्यक्ति है, जो वायर ट्रांसफर करने के लिए ऑर्डर देने वाले फ़ाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ऑर्डर देता है।
- j. सीरियल भुगतान: सीरियल भुगतान एक सीधा अनुक्रमिक भुगतान श्रृंखला को संदर्भित करता है जहाँ वायर ट्रांसफर और साथ ही भुगतान संदेश एक साथ प्रारंभक वित्तीय संस्था से लाभार्थी वित्तीय संस्था तक सीधे या एक से अधिक माध्यस्थ वित्तीय संस्थाओं (जैसे, सहयोगी बैंक) के माध्यम से यात्रा करते हैं।
- k. स्ट्रेट-थ्रू प्रोसेसिंग: स्ट्रेट-थ्रू प्रोसेसिंग उन भुगतान लेन-देन को संदर्भित करता है जो मैन्युअल हस्तक्षेप के बिना इलेक्ट्रॉनिक रूप से किये जाते हैं।
- l. यूनीक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर: यूनीक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर, वायर ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम या मैसेजिंग सिस्टम के प्रोटोकॉल के अनुसार, भुगतान सेवा प्रदाता द्वारा निर्धारित अक्षरों, संख्याओं या प्रतीकों के संयोजन को संदर्भित करता है।
- m. वायर ट्रांसफर: वायर ट्रांसफर से तात्पर्य किसी भी ऐसे लेन - देन से है, जो किसी वित्तीय संस्थान के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से किया जाता है, ताकि लाभार्थी वित्तीय संस्थान में लाभार्थी के लिए उपलब्ध धनराशि, भले ही प्रवर्तक और लाभार्थी एक ही व्यक्ति हों।

सभी अन्य अभिव्यक्तियाँ, जिनका यहाँ परिभाषित नहीं किया गया हो, का अर्थ उन्हें बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1935, धन प्रलयन निवारण अधिनियम, 2002, धन प्रलयन (रिकॉर्डों की रखरखाव) नियम, 2005, आधार (लक्षित वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं की पहुँच) अधिनियम, 2016 और उसके अधीन निर्मित विनियमों द्वारा उन्हें प्राप्त अर्थ का होगा, किसी भी कानूनी संशोधन या पुनः विधान के साथ, या वाणिज्यिक अभिव्यवस्था में प्रयोग किए जाने पर, जैसा भी मामला हो।

अध्याय - II सामान्य

4. यह नीतिगत ढांचा इस संबंध में नियामक निर्देशों सहित पीएमएल अधिनियम/नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहता है और मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण, प्रसार वित्तपोषण और अन्य संबंधित जोखिमों से उत्पन्न खतरों के खिलाफ एक दीवार प्रदान करना चाहिए।
5. उपरोक्त कानूनी/नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए, एएचएफएल जोखिमों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के लिए एफएटीएफ मानकों और एफएटीएफ मार्गदर्शन नोट्स को ध्यान में रखते हुए सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं को अपनाने पर भी विचार कर सकता है।

नीति में निम्नलिखित चार मुख्य तत्व शामिल होंगे:

- (a) ग्राहक स्वीकृति नीति;
- (b) जोखिम वर्गीकरण और प्रबंधन;
- (c) ग्राहक पहचान प्रक्रियाएँ (सीआईपी); और
- (d) लेन-देन का मॉनिटरिंग।

6. कंपनी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग रिस्क असेसमेंट

- a. कंपनी नियमित अंतराल पर 'धन प्रलयन (एमएल) और आतंकवादी वित्तपोषण (टीएफ) जोखिम मूल्यांकन' अभ्यास कार्यक्रम को कार्यान्वित करेगी ताकि वह अपने ग्राहकों, देशों या भौगोलिक क्षेत्रों, उत्पादों, सेवाओं, लेन-देन या वितरण चैनलों, आदि के लिए अपने धन प्रलयन और आतंकवादी वित्तपोषण के जोखिम को पहचानें, मूल्यांकित करें और सशक्त उपाय लें ताकि उसे कम किया जा सके।

मूल्यांकन प्रक्रिया को सम्पूर्ण रूप से सम्मिलित करने से पहले सभी प्रासंगिक जोखिम कारकों को विचार में लेना चाहिए ताकि सामान्य जोखिम और उसके उपयुक्त स्तर और प्रकार का निर्धारण किया जा सके। अंतर्निहित जोखिम मूल्यांकन तैयार करते समय, कंपनी को समय-समय पर नियामक/पर्यवेक्षक द्वारा कोई भी सामान्य क्षेत्र-विशेष संवेदनशीलताओं को ध्यान में लेना चाहिए, जो वह शेयर कर सकता है।

- b. कंपनी द्वारा जोखिम मूल्यांकन को ठीक से दस्तावेजीकृत किया जाना चाहिए और कंपनी की प्रकृति, आकार, भूगोलीय उपस्थिति, गतिविधियों/संरचना की जटिलता आदि के संदर्भ में संवादित होना चाहिए। और इसके अलावा, जोखिम मूल्यांकन अभ्यास की आवधिकता कंपनी के बोर्ड द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए, जोखिम मूल्यांकन अभ्यास के परिणाम के साथ समान रहे। हालांकि, इसे कम से कम वार्षिक रूप से समीक्षित किया जाना चाहिए। अगर कोई उच्च जोखिम वाले ग्राहक हैं, तो उनके लिए जोखिम मूल्यांकन अभ्यास को अर्ध - वार्षिक में एक बार किया जाना चाहिए।
- c. इस अभ्यास के परिणाम को समिति या उस समिति को जिसे इस संदर्भ में शक्ति सौंपी गई हो, बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए, और इसे प्राधिकृत प्राधिकरणों और स्व-नियमित निकायों को उपलब्ध होना चाहिए।
- d. कंपनी निर्धारित जोखिम के निवारण और प्रबंधन के लिए एक जोखिम आधारित दृष्टिकोण (आरबीए) लागू करेगी और इसके अनुसार, इस संबंध में बोर्ड द्वारा स्वीकृत नीतियों, नियंत्रणों और प्रक्रियाओं को होंगे। इसके अलावा, कंपनी नियंत्रणों के कार्यान्वयन का मॉनिटरिंग करेगी और जरूरत पड़ने पर उन्हें सुधारेगी।

7. नियुक्त निदेशक

- A.** "नामित निदेशक" उस व्यक्ति को कहते हैं जिसे कंपनी ने PML अधिनियम के अध्याय IV और नियमों के तहत लगाए गए अनुशासन के सामान्य सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त किया जाता है और इसे बोर्ड द्वारा नामित किया जाना चाहिए। कंपनी ने अपने "नामित निदेशक" के रूप में अपने प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नामांकन किया है और उसे इस नीति के तहत NHB/RBI और FIU-IND को सूचित किया गया है।
- B.** नियुक्त निदेशक का नाम, पदनाम और पता, पिछले जमा की गई जानकारी में कोई परिवर्तन सहित, NHB/RBI और FIU-IND को सूचित किया जाना चाहिए।
- C.** किसी भी स्थिति में, मुख्य कार्यकारी अधिकारी को 'नियुक्त निदेशक' के रूप में नामित नहीं किया जाएगा।

8. प्रधान अधिकारी

- A.** कंपनी एक "प्रधान अधिकारी" (प्राथमिकता से सामान्य प्रबंधक के स्तर या कंपनी के सीएमडी/एमडी के स्तर से नीचे) नियुक्त करेगी। कंपनी ने अपने सचिव को इस नीति के तहत प्रधान कार्यकारी अधिकारी के रूप में नामित किया है और उसे NHB/RBI और FIU-IND को सूचित किया गया है।
- B.** प्रधान अधिकारी को नियम/विनियमों के तहत आवश्यकता अनुसार अनुपालन सुनिश्चित करने, लेन-देन का मॉनिटरिंग करने, और जानकारी साझा और रिपोर्ट करने का जिम्मेदार होगा।
- C.** प्रधान अधिकारी का नाम, पदनाम और पता, पिछले जमा की गई जानकारी में कोई परिवर्तन सहित, NHB/RBI और FIU-IND को सूचित किया जाना चाहिए।

9. नीति का अनुपालन

- A.** कंपनी निम्नलिखित के माध्यम से इस नीति का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

- i. कंपनी वहाँ वरिष्ठ प्रबंधन को निर्दिष्ट करेगी जो KYC अनुपालन के लिए जिम्मेदार हों।
- ii. नीतियों और प्रक्रियाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदारियों का आवंटन किया जाएगा।
- iii. कंपनी की नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्वतंत्र मूल्यांकन किया जाएगा, जिसमें कानूनी और नियामकीय आवश्यकताओं की जांच की जाएगी।
- iv. KYC/AML नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन की निगरानी के लिए एक आंतरिक लेखा प्रणाली को लागू किया जाएगा।
- v. त्रैमासिक लेखा सुझाव को आयात समिति को प्रस्तुत किया जाएगा, और उसका पालन किया जाएगा।

- B.** कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि केवाईसी मानकों के साथ अनुपालन की निर्धारण करने की निर्णय लेने की कार्यों को आउटसोर्स नहीं किया जाता।

अध्याय - III

ग्राहक स्वीकृति नीति

- 10.** कंपनी ने कंपनी की क्रेडिट नीति के रूप में ग्राहक स्वीकृति नीति को तैयार किया है।
- 11.** ग्राहक स्वीकृति नीति में शामिल होने वाले सार्वभौमिक पहलुओं की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, एचएफएल यह सुनिश्चित करेगी कि:
 - a. किसी भी ग्राहक को अनजान या कल्पित/बेनामी नाम में स्वीकार नहीं किया जाता है, या ऋण खाता नहीं खोला जाता है।

- b. कोई भी ग्राहक स्वीकार नहीं किया जाता है, या ऋण खाता नहीं खोला जाता है, जहां एएचएफएल ग्राहक के असहयोग या ग्राहक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/जानकारी की गैर - विश्वसनीयता के कारण उचित सीडीडी उपायों को लागू करने में असमर्थ है।
 - c. सीडीडी प्रक्रिया का पालन किए बिना कोई लेनदेन या ऋण खाता - आधारित संबंध नहीं किया जाता है।
 - d. ऋण खाता खोलते समय और नियमित अपडेशन के दौरान केवाईसी उद्देश्य के लिए अनिवार्य जानकारी निर्दिष्ट की जाती है।
 - e. 'ऐच्छिक'/अतिरिक्त जानकारी, क्रेडिट नीति के अनुसार, ऋण खाता खोलने के बाद ग्राहक की स्पष्ट सहमति के साथ प्राप्त की जाती है।
 - f. कंपनी शाखा/यूसीआईसी स्तर पर सीडीडी प्रक्रिया को लागू करेगी। इसलिए, यदि किसी कंपनी के मौजूदा केवाईसी अनुपालन ग्राहक को उसी कंपनी के साथ एक और ऋण सुविधा का लाभ लेने की इच्छा हो, तो एक नई सीडीडी अभ्यास की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
 - g. सभी संयुक्त आवेदकों के लिए सीडीडी प्रक्रिया का पालन किया जाता है।
 - h. उन परिस्थितियों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है जिनमें ग्राहक को किसी अन्य व्यक्ति/संस्था के प्रतिनिधि के रूप में कार्रवाई करने की अनुमति दी जाती है।
 - i. उपयुक्त प्रणाली को स्थापित किया जाता है ताकि ग्राहक की पहचान किसी भी व्यक्ति या संस्था से मेल न खाए, जिसका नाम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रसारित संज्ञान किए गए निर्देशों की सूची में हो।
 - j. किसी भी ग्राहक को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, या ऋण खाता नहीं खोला जाना चाहिए, जो किसी भी नकारात्मक सूची में उल्लिखित व्यक्ति या संस्था से संबंधित हो।
 - k. जहां स्थायी खाता संख्या (पैन) प्राप्त की गई है, वही संख्या प्रकाशन प्राधिकरण की सत्यापन सुविधा से सत्यापित की जाएगी।
 - l. जहाँ से ग्राहक से समतुल्य ई-दस्तावेज़ प्राप्त किया गया है, कंपनी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (21 of 2000) के प्रावधानों के अनुसार डिजिटल हस्ताक्षर की सत्यापन करेगी।
 - m. जहां सामान और सेवा कर (जीएसटी) विवरण उपलब्ध होते हैं, वहां से जीएसटी संख्या को प्रकाशन प्राधिकरण की खोज/सत्यापन सुविधा से सत्यापित किया जाएगा।
- 12.** ग्राहक स्वीकृति नीति आम जनता के सदस्यों को वित्तीय या सामाजिक रूप से वंचित करने का परिणाम नहीं देनी चाहिए, विशेष रूप से उन लोगों को नहीं, जो वित्तीय या सामाजिक रूप से वंचित हैं।
- 13.** जहां कंपनी को पैसे का धोखाधड़ी या आतंकवादी फाइनेंसिंग का संदेह होता है, और यह यहां तक मान लेती है कि सीडीडी प्रक्रिया का पालन करने से ग्राहक को खबर मिल जाएगी, तो यह सीडीडी प्रक्रिया का पीछा नहीं करेगी, बल्कि FIU-IND के साथ एक एसटीआर दाखिल करेगी।

अध्याय – IV

जोखिम वर्गीकरण और प्रबंधन

- 14.** जोखिम वर्गीकरण और प्रबंधन के लिए, एएचएफएल का एक जोखिम - आधारित दृष्टिकोण होगा जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं।

- a. ग्राहकों को कंपनी के मूल्यांकन और जोखिम परिप्रेक्ष्य के आधार पर कम, मध्यम और उच्च जोखिम वर्ग में वर्गीकृत किया जाएगा।
- b. जोखिम वर्गीकरण ग्राहक की पहचान, सामाजिक/वित्तीय स्थिति, व्यापार गतिविधि की प्रकृति, और ग्राहकों के व्यापार और उनके स्थान की भौगोलिक जोखिम को कवर करती है, साथ ही वित्तीय लेन-देन, प्रदान की जाने वाली उत्पादों/सेवाओं के प्रकार, उत्पादों/सेवाओं के प्रदान के लिए उपयोग किए जाने वाले वितरण संचार माध्यम, किए गए लेन-देन के प्रकार - नकद, चेक/मुद्रा यंत्र, तार बिन्दु, विदेशी मुद्रा लेन-देन, आदि। ग्राहक की पहचान को ध्यान में रखते हुए, पहचान दस्तावेजों की पुष्टि करने की क्षमता को ऑनलाइन या प्रकाशित

प्राधिकरणों द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य सेवाओं के माध्यम से भी ध्यान में रखा जा सकता है, जैसा निम्नलिखित दिया गया है:

ग्राहक की यह एएमएल/जोखिम आधारित वर्गीकरण निम्नलिखित है, समय-समय पर निर्दिष्ट किए जाने वाले किसी भी विनियामक आवश्यकता के अधीन है:

1. कम जोखिम ग्राहक: उन व्यक्तियों (जो उच्च नेट वर्थ के अलावा हों) और संस्थाओं के लिए, जिनकी पहचान और आय का स्रोत आसानी से पहचाना जा सकता है और उनके साथ लेन-देन बड़े पूर्वानुमान के अनुसार होता है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- i. वेतनभोगी कर्मचारी
- ii. स्वरोजगारी व्यक्तियाँ/प्रोप्राइटर फर्म
- iii. सरकारी विभाग और सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियाँ
- iv. सीमित कंपनियाँ (सार्वजनिक और निजी)
- v. साझेदारी फर्म (पंजीकृत सुलहनामा)
- vi. एनआरआई को ऋण तकनीकी रूप से 25 लाख रुपये तक, जिसमें भुगतान एनआरओ खाते के माध्यम से होता है और यदि भुगतान विदेश से रेमिटेंस के माध्यम से हो, तो कोई सीमा नहीं है।
- vii. 25 लाख रुपये तक के सभी ऋण मामले, जिनमें आय का मूल्यांकन और साक्षात्कारिक आय सिद्धांत दस्तावेजों या प्रतिस्थापक विधियों के बिना किया जाता है, जैसे: नकद वेतन, कोई आय प्रमाण पत्र नहीं और अनौपचारिक स्वरोजगारी ग्राहक।
- viii. 25 लाख रुपये तक के सभी जमा राशि।
- ix. गृहिणी
- x. काम न करने वाला

केवाईसी का पुनर्मूल्यांकन: इस श्रेणी के तहत, केवाईसी का पुनरार्थ और परिवर्तन के मामले में अपडेट का पुनरार्थ ऋण के प्रारंभिककरण से 10 वर्ष पहले या इससे पहले होना चाहिए।

2. मध्यम जोखिम ग्राहक: इस श्रेणी के तहत उन ग्राहकों को श्रेणीबद्ध किया जाना चाहिए जो औसत से अधिक जोखिम उत्पन्न करने के संभावना रखते हैं, और इस श्रेणी के लिए उच्चतर योग्यता की आवश्यकता है, जिसमें ग्राहक की पृष्ठभूमि, गतिविधि का प्रकृति और स्थान, मूल देश, निधि का स्रोत और उसका ग्राहक प्रोफाइल, आदि समेत सही पहचान के अलावा उचित गहनता शामिल है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- i. गैस डीलर, कार / नाव / विमान डीलर
- ii. इलेक्ट्रॉनिक्स (थोक)
- iii. यात्रा एजेंसी, टेलीमार्केटर्स, टेलीकम्यूनिकेशन सेवा प्रदाता
- iv. पॉनशॉप, नीलामीकर्ता, रेस्टरां, खुदरा दुकानें, मूवी थिएटर
- v. एकल व्यावसायिक
- vi. नोटरी एजेंट्स
- vii. 25 लाख रुपये से अधिक के सभी ऋण, प्रतिरूप में विश्लेषण किया जाता है या बिना स्वायत्त आय प्रमाण पत्रों के।
- viii. 25 लाख रुपये से अधिक के एनआरआई को ऋण, जिसमें ऋण का चुकाना एनआरओ खाते के माध्यम से हो।
- ix. 25 लाख रुपये से अधिक के सभी जमा, व्यक्तियों और पंजीकृत संस्थाओं से।

केवाईसी का पुनर्मूल्यांकन: इस श्रेणी के अंतर्गत केवाईसी का पुनर्मूल्यांकन और परिवर्तन के मामले में अपडेशन ऋण उत्पत्ति से 8 वर्षों के भीतर होना चाहिए

- x. निजी सीमित कंपनियों के साथ वेतनभोगी
- xi. बदलते/असंरचित आय के साथ वेतनभोगी

3. उच्च जोखिम ग्राहक:

- i. राजनीतिक विस्थापित व्यक्ति (PEP)
- ii. PEP के परिवार के सदस्य और करीबी रिश्तेदार
- iii. बहुत अधिक नकद लेन-देन (10 लाख रुपये और ऊपर और संदिग्ध लेन-देन FIU-IND को रिपोर्ट किया गया)
- iv. सार्वजनिक जानकारी के अनुसार संदिग्ध प्रतिष्ठा वाले व्यक्तियाँ
- v. उन व्यक्तियों के जिनके आय के स्रोत अज्ञात हैं या कोई प्रमाणित दस्तावेज़ लंबित हैं।
- vi. ग्राहकों या संदिग्ध व्यक्तियों के साथ गैर-मुँह चेहरे मुलाकात
- vii. एनजीओ, विश्वास, दान प्राप्त करने वाली संगठनाएँ।
- viii. विश्वास / समाज
- ix. उच्च नेट वर्थ व्यक्तियों (निवेश के अधिक से अधिक बचत अधिकतम 1.00 करोड़ रुपये से अधिक)
- x. कंपनियों में निजी परिवारीय हिस्सेदारी या लाभांशी दायित्व।
- xi. विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम के तहत खाते।
- xii. गैर-निवासी ग्राहक।
- xiii. धनराशि व्यापक व्यापारों के खाते जैसे कि सोने के डीलर (सहित उप-डीलर) और ज्वेलर्स के खाते।

केवाईसी का पुनर्मूल्यांकन: इस श्रेणी के अंतर्गत, KYC का पुनरारंभ और परिवर्तन के मामले में अपडेशन, ऋण के प्रारंभिककरण से 2 वर्ष पहले या इससे पहले होना चाहिए।

बशर्ते कि अनुमानित जोखिम से संबंधित ग्राहकों की विभिन्न श्रेणियों से एकत्र की गई विभिन्न अन्य जानकारी गैर - घुसपैठ है और इसे क्रेडिट पॉलिसी में निर्दिष्ट किया जा सकता है।

वित्तीय क्रियाकलाप कार्यदल (FATF) द्वारा एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) मानकों और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला (CFT) मानकों पर की गई सिफारिशों का उपयोग भी जोखिम मूल्यांकन में किया जाना चाहिए।

4. ग्राहक का जोखिम वर्गीकरण और ऐसे विशेष कारण जोखिम मूल्यांकन के लिए गोपनीय रखा जाना चाहिए और ग्राहक को ऐसे कारणों को उजागर करने से बचने के लिए उसे बताया नहीं जाना चाहिए।

अध्याय-5

ग्राहक पहचान प्रक्रिया (सीआईपी)

15. कंपनी निम्नलिखित मामलों में ग्राहकों की पहचान करेगी:

- A. ग्राहक के साथ ऋण खाता-आधारित संबंध की शुरुआत के समय।
- B. जब इसे प्राप्त ग्राहक पहचान डेटा की प्रामाणिकता या पर्याप्तता के बारे में संदेह हो।
- C. तीसरे पक्ष के उत्पादों की बिक्री के रूप में एजेंट के रूप में, अपने उत्पादों की बिक्री, क्रेडिट कार्डों/प्रीपेड/यात्रा कार्डों के भुगतान और दुकान कार्डों के पुनः लोड और पचास हजार रुपये से अधिक के लिए किसी अन्य उत्पाद की बिक्री।
- D. गैर-खाता-आधारित ग्राहक के लिए लेन-देन करना, जो एक वॉक-इन ग्राहक है, जहां शामिल राशि पचास हजार रुपये से अधिक है, चाहे यह एकल लेन-देन के रूप में हो या कई लेन-देन जो जुड़े हुए दिखाई देते हैं।
- E. जब कंपनी को यह कारण हो कि ग्राहक जानबूझकर लेन-देन को पचास हजार रुपये की सीमा से कम के एक शृंखला में संरचित कर रहा है।

- F. कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि एएफएचएल से ऋण प्राप्त करते समय परिचय की मांग नहीं की जानी चाहिए।
- 16.** ऋण खाता-आधारित संबंध की शुरुआत के समय ग्राहकों की पहचान की जाँच के उद्देश्य से, कंपनी, अपने विकल्प के अनुसार, तीसरे पक्ष द्वारा किए गए ग्राहक द्वारा यथाशक्ति पूर्व प्रतिबद्धता पर आधारित ग्राहक समीक्षा पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन भरोसा कर सकती है:
- A. तीसरे पक्ष द्वारा किए गए ग्राहक योग्यता की जाँच के अभिलेख या जानकारी को तीसरे पक्ष से या केंद्रीय केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री से दो दिन के भीतर प्राप्त किया जाता है।
 - B. कंपनी द्वारा यह पर्याप्त कदम उठाए जाते हैं कि वे स्वयं को संतुष्ट करें कि ग्राहक योग्यता की आवश्यकताओं से संबंधित पहचान डेटा और अन्य संबंधित दस्तावेज़ की प्रतिलिपियाँ तीसरे पक्ष द्वारा आवेदन पर तुरंत उपलब्ध हों।
 - C. तीसरे पक्ष को पीएमएल एक्ट के अनुबंधों और अनुदेशों के अनुरूप ग्राहक योग्यता और रिकॉर्ड रखने की आवश्यकताओं का पालन करने के लिए नियामित, पर्यवेक्षित या निगरानी किया जाता है, या उसके लिए उपाय किये जाते हैं।
 - D. तीसरे पक्ष किसी ऐसे देश या क्षेत्र में नहीं होना चाहिए जिसे उच्च जोखिम के रूप में मूल्यांकन किया गया हो।
 - E. ग्राहक के उचित परिश्रम और बढ़े हुए उचित परिश्रम उपायों के लिए अंतिम जिम्मेदारी, जैसा कि लागू हो, कंपनी के पास होगी।

अध्याय - vi

कस्टमर झूट डिलिजेंस (सीडीडी) प्रक्रिया

- भाग I - व्यक्तियों के मामले में ग्राहक योग्यता (CDD) प्रक्रिया**
- 17.** सीडीडी करने के लिए, कंपनी किसी व्यक्ति से ऋण खाता-आधारित संबंध स्थापित करते समय या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ व्यवहार करते समय, जो लाभकारी स्वामी, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता या किसी कानूनी इकाई से संबंधित पावर ऑफ अटॉर्नी धारक है, तो कंपनी को निम्नलिखित प्राप्त करना चाहिए:
- A. आधार नंबर जहाँ,
 - (i) वह किसी भी योजना के तहत किसी लाभ या सब्सिडी प्राप्त करने की इच्छुक है जो आधार (लक्षित वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं के प्रसार का लक्षित) अधिनियम, 2016 (18 of 2016) की धारा 7 के अधिसूचना के तहत है।
 - (ii) वह पीएमएल अधिनियम की धारा 11A के उप-अनुभाग (1) की पहली प्रस्तावना के अनुसार अपना आधार संख्या स्वेच्छापूर्वक जमा करने का निर्णय लेता है।
 - B. वहाँ, जहाँ ऑफलाइन सत्यापन किया जा सकता है, आधार संख्या के स्वामित्व का प्रमाण; या
 - C. वहाँ, जहाँ ऑफलाइन सत्यापन नहीं किया जा सकता है, या कोई अन्य पर्याप्त दस्तावेज़ (OVD) या उसका समकक्ष इ-दस्तावेज़ जिसमें उसकी पहचान और पते का विवरण हो; और
 - D. CKYCR से रिकॉर्ड डाउनलोड करने की स्पष्ट सहमति के साथ केवाईसी पहचानकर्ता; और
 - E. स्थायी खाता संख्या (PAN) या उसका समकक्ष इ-दस्तावेज़ या आयकर नियम, 1962 में परिभाषित फार्म संख्या 60; और
 - F. उस प्रकार के अन्य पहचान दस्तावेजों, जैसे कि ग्राहक के व्यवसाय और वित्तीय स्थिति के संबंध में, या उसके समकक्ष इ-दस्तावेज़, जो कंपनी की क्रेडिट नीति के अनुसार कंपनी द्वारा आवश्यक हो सकते हैं:

बशर्ते कि जहाँ ग्राहक ने प्रस्तुत किया है:

- i. पीएमएल अधिनियम की धारा 11A के उप-अनुभाग (1) की प्रथम प्रस्तावना के अनुसार आधार संख्या दर्ज की गई है, तो कंपनी को भारत के अद्वितीय पहचान प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई ई-केवाईसी प्रमाणीकरण सुविधा का उपयोग करके ग्राहक की आधार संख्या का सत्यापन करना चाहिए। और, ऐसे मामले में, यदि ग्राहक वर्तमान पता प्रदान करना चाहता है, जो पहचान सूचना के रूप में केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉज़िट्री में उपलब्ध पते से भिन्न है, तो वह कंपनी को इस बारे में एक स्वयं-घोषणा दे सकता है।
- ii. आधार के स्वामित्व का प्रमाण, जहां ऑफलाइन सत्यापन किया जा सकता है, कंपनी ऑफलाइन सत्यापन करेगी।
- iii. किसी अन्य पर्याप्त डिजिटल दस्तावेज़ का सत्यापन, कंपनी को इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम, 2000 (21 of 2000) और उसके तहत जारी किए गए किसी भी नियमों के प्रावधानों के अनुसार डिजिटल हस्ताक्षर की सत्यापन करना होगा, और अनुबंध। में उल्लिखित रीति के अनुसार एक लाइव फोटो लेना होगा।
- iv. जहां ऑफलाइन सत्यापन नहीं किया जा सकता है, किसी भी अन्य पर्याप्त डिजिटल दस्तावेज़ का सत्यापन, कंपनी को अनुबंध। के तहत निर्दिष्ट डिजिटल KYC के माध्यम से सत्यापन करना होगा, यहां तक कि सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी सूचनाओं के अधीन जारी किए जाने पर आधार संख्या या OVD के संपत्ति के प्रमाण की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए और नवीनतम तस्वीर, जहां एक समकक्ष ई-दस्तावेज जमा नहीं किया गया है।
- v. श्रेणी (ac) में व्याख्या के तहत KYC पहचानकर्ता, कंपनी को धारा 56 के अनुसार सीकायसीआर से ऑनलाइन जीकाई रिकॉर्ड पुनः प्राप्त करना होगा।

बशर्ते यहाँ अगर किसी व्यक्ति के लिए ई-केवाईसी प्रमाणीकरण किसी भी योजना के तहत किसी लाभ या सब्सिडी के प्राप्ति की इच्छुकता रखने वाले किसी व्यक्ति के लिए संबंधित आधार (लक्षित वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं के प्रसार के लिए) अधिनियम, 2016 के अनुच्छेद 7 के तहत किसी भी योजना के तहत किसी भी लाभ या सब्सिडी प्राप्ति के लिए अपनाने में विफलता हो, तो यदि उसके बुढ़ापे या अन्य कारणों के कारण चोट, बीमारी या अस्वस्थता के कारण ई-केवाईसी प्रमाणीकरण किया नहीं जा सकता है, तो कंपनी को अनिवार्य रूप से आधार संख्या प्राप्त करने के अलावा, ग्राहक से ऑफलाइन सत्यापन या वैकल्पिक रूप से किसी अन्य ओवीडी या उसके समकक्ष ई-डॉक्यूमेंट की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार का सीडीडी को निश्चित करना अनिवार्य होगा कि कंपनी के एक अधिकारी द्वारा किया जाए और ऐसे अपवाद प्राप्ति का समावेश भी समन्वय लेखा का हिस्सा होगा। कंपनी को सुनिश्चित करना चाहिए कि अपवाद प्राप्ति के मामलों को एक केंद्रीय अपवाद डेटाबेस में यथाशक्ति रूप से रिकॉर्ड किया जाए। डेटाबेस में अपवाद प्रदान करने के कारण, ग्राहक विवरण, अपवाद को अधिकृत करने वाले नियुक्त अधिकारी का नाम और अतिरिक्त विवरण, यदि कोई हो, का विवरण होगा। डेटाबेस कंपनी द्वारा नियमित आंतरिक लेखा/निरीक्षण के लिए समाहित किया जाएगा और निगरानीय समीक्षा के लिए उपलब्ध रहेगा।

स्पष्टीकरण 1: कंपनी, जहां उसका ग्राहक आधार संख्या युक्त आधार संख्या के कब्जे का प्रमाण प्रस्तुत करता है, और आधार संख्या के प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं है जैसा कि उपर्युक्त प्रावधान (i) के अनुसार, सुनिश्चित करेगा कि ऐसे ग्राहक अपनी आधार संख्या को उपयुक्त साधनों के माध्यम से रेडैक्ट या ब्लैक आउट करें।

स्पष्टीकरण 2: कंपनी द्वारा आवेदनीय कानून का पालन करने के अधीन जीरो मैट्रिक आधारित ई-केवाईसी प्रमाणीकरण किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण 3: आधार का उपयोग, आधार के स्वामित्व के प्रमाण का आदि, 2016 के आधार (लक्षित वित्तीय और अन्य सब्सिडी लाभ और सेवाओं के प्रसार) अधिनियम और उसके तहत निर्मित विनियमों के अनुसार होगा।

18. आधार ओटीपी पर आधारित ई-केवाईसी का उपयोग करके खोले गए ऋण खाते, गैर-व्यक्तिगत मोड में, निम्नलिखित शर्तों के अधीन होते हैं। क्योंकि कंपनी अधिक जमा स्वीकार नहीं कर सकती, ये केवल उधार फैसिलिटी के लिए संबंधित हैं।

- i. OTP के माध्यम से प्रमाणीकरण के लिए ग्राहक से विशेष सहमति होनी चाहिए।
- ii. ऐसे खातों के लिए जो इस प्रकार के जोखिम को कम करने के लिए होते हैं, कंपनी सुनिश्चित करेगी कि लेन-देन अलर्ट, ओटीपी, आदि, केवल उस ग्राहक के मोबाइल नंबर पर भेजे जाते हैं जो आधार से पंजीकृत है। कंपनी के पास एक बोर्ड स्वीकृत नीति होनी चाहिए जो ऐसे खातों में मोबाइल नंबर के परिवर्तन के अनुरोधों के संबंध में नियमित जांच की प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से परिभाषित करे।

- iii. केवल अवधि ऋण स्वीकृत किए जाएंगे। वार्षिक रूप में स्वीकृत अवधि ऋणों की कुल राशि साठ हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- iv. OTP आधारित ई-केवार्इसी का उपयोग करके खोले गए ऋण खातों के लिए एक वर्ष से अधिक की अनुमति नहीं होगी, जिसमें इस नीति के तहत पहचान कार्यवाही की जानी चाहिए। यदि वी-सीआईपी के तहत आधार विवरण का उपयोग किया जाता है, तो प्रक्रिया को पूरी तरह से नए आधार OTP प्रमाणीकरण सहित अनुसरण किया जाएगा।
- v. यदि उपर्युक्त वर्णित सीडीडी प्रक्रिया एक वर्ष के भीतर पूरी नहीं होती है, तो कोई अधिक डेबिट अनुमति नहीं दी जाएगी।
- vi. ग्राहक से एक घोषणा प्राप्त की जाएगी कि किसी अन्य रिपोर्टिंग एंटिटी के साथ गैर-व्यक्तिगत मोड में OTP आधारित KYC का उपयोग करके कोई अन्य खाता नहीं खोला गया है और न ही खोला जाएगा। इसके अलावा, CKYCR में KYC जानकारी अपलोड करते समय, कंपनी को स्पष्ट रूप से इस बात का संकेत देना चाहिए कि ऐसे खाते OTP आधारित ई-केवार्इसी का उपयोग करके खोले गए हैं। कंपनी किसी भी अन्य रिपोर्टिंग एंटिटी द्वारा गैर-व्यक्तिगत मोड में OTP आधारित e-KYC प्रक्रिया के अंतर्गत खोले गए खातों की KYC जानकारी के आधार पर खाते नहीं खोलेगी।
- vii. कंपनी को उपर्युक्त उल्लिखित शर्तों का पालन सुनिश्चित करने के लिए किसी भी गैर-संपूर्णता/उल्लंघन के मामले में चेतावनियों को उत्पन्न करने के लिए सिस्टमों सहित कठोर मॉनिटरिंग प्रक्रियाएँ होनी चाहिए।

19. कंपनी, लागू कानूनों के अधीन, किसी कंपनी के अधिकारी द्वारा निष्पादित किए जाने वाले लाइव वी-सीआईपी का कार्य कर सकती है।

- a. एक व्यक्तिगत ग्राहक, प्रोप्राइटरशिप फर्म के मामले में प्रोप्राइटर, विधि के अधिकारियों और विधि संरचना (लीगल एंटिटी) ग्राहकों के लिए उनकी सूचित सहमति प्राप्त करने के बाद एक ऋण खाता आधारित संबंध स्थापित करने के लिए, प्रोप्राइटरशिप फर्म के सीडीडी के मामले में, कंपनी को प्रोप्राइटर के सीडीडी के अलावा संबंधित प्रोप्राइटरशिप फर्म के गतिविधि सबूतों का समकक्ष ई-दस्तावेज प्राप्त करना होगा।
- b. आधारित ओटीपी प्रमाणीकरण के माध्यम से गैर-व्यक्तिगत मोड में खोले गए मौजूदा खातों का परिवर्तन, अनुच्छेद 17 के अनुसार।
- c. योग्य ग्राहकों के लिए KYC का अपडेशन/नियमित अपडेशन।

कंपनी जो वी-सीआईपी को अपनाने का विकल्प चुनती है, उसे निम्नलिखित न्यूनतम मानकों का पालन करना होगा –

- i. कंपनी के अधिकारी जो वी-सीआईपी का कार्य निष्पादित कर रहे हैं, उन्हें ग्राहक के पहचान के लिए उपस्थित होने वाले व्यक्ति की वीडियो रिकॉर्ड और फोटोग्राफ लेना होगा और पहचान के लिए केवल आधार की ऑफलाइन सत्यापन के माध्यम से पहचान जानकारी प्राप्त करनी होगी।
- ii. कंपनी ग्राहक द्वारा प्रक्रिया के दौरान प्रदर्शित किए जाने वाले पैन कार्ड की स्पष्ट छवि को कैचर करेगी, केवल उन मामलों में जब ग्राहक द्वारा ई-पैन प्रदान किया जाता है। पैन विवरणों की सत्यापन की जाएगी जो जारी करने वाले अधिकारी के डेटाबेस से होगी।
- iii. ग्राहक की लाइव स्थान (जियोटैगिंग) को कैचर किया जाएगा ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि ग्राहक भारत में वास्तव में उपस्थित है।
- iv. कंपनी के अधिकारी को सुनिश्चित करना होगा कि आधार/पैन विवरण में ग्राहक की फोटोग्राफ ग्राहक के वी-सीआईपी को करने वाले व्यक्ति से मेल खाती है और आधार/पैन में पहचान विवरण ग्राहक द्वारा प्रदान की गई विवरणों के साथ मेल खाती है।
- v. कंपनी के अधिकारी को सुनिश्चित करना होगा कि वीडियो बातचीत के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्नों की क्रमबद्धता और/या प्रकार में परिवर्तन किया जाए ताकि यह स्थापित किया जा सके कि बातचीत वास्तव में लाइव है और पूर्व-रिकॉर्ड नहीं है।
- vi. जहाँ क्लाउड परिनियोजन मॉडल का उपयोग किया जाता है, उसमें सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे मॉडल में डेटा का स्वामित्व केवल कंपनी के पास हो और सभी डेटा, सहित वीडियो रिकॉर्डिंग, केवल कंपनी के अधिसूचन में स्वामित्व वाले/लीज़ किए गए सर्वर(ओं) पर स्थानांतरित किया जाए, सहित क्लाउड सर्वर, यदि कोई है, वी-सीआईपी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद तुरंत, और कोई डेटा क्लाउड सेवा प्रदाता या तीसरे पक्ष के प्रौद्योगिकी प्रदाता द्वारा रखा नहीं जाएगा।

- vii. यदि एक्सएमएल फ़ाइल या आधार सुरक्षित क्यूआर कोड का ऑफलाइन सत्यापन हो, तो सुनिश्चित किया जाएगा कि एक्सएमएल फ़ाइल या क्यूआर कोड उत्पन्न करने की तारीख वी-सीआईपी कार्यवाही करने की तिथि से 3 कार्यदिवस से पुरानी नहीं है।
- viii. वी - सीआईपी के माध्यम से खोले गए सभी ऋण खातों को प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए समवर्ती ऑडिट के अधीन होने के बाद ही चालू किया जाएगा।
- ix. कंपनी सुनिश्चित करेगी कि प्रक्रिया ग्राहक के साथ अविरल, वास्तविक समय पर, सुरक्षित, समाप्त से अंत तक एन्क्रिएट ऑडियोविजुअल बातचीत हो और संचार की गुणवत्ता उचित हो ताकि ग्राहक की पहचान निरंतरता से की जा सके। कंपनी स्पूफिंग और ऐसे अन्य धारात्मक उल्लंघनों के खिलाफ संरक्षण के लिए लाइबलीनेस जाँच का आयोजन करेगी।
- x. सुरक्षा, मजबूती और अंत से अंत एन्क्रिप्शन सुनिश्चित करने के लिए, कंपनी को भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (सर्ट-इन) के नियुक्त लेखकों द्वारा सॉफ्टवेयर और सुरक्षा जांच और वी-सीआईपी एप्लिकेशन की पुष्टि की जाएगी, इससे पहले कि इसे प्रदर्शित किया जाए।
- xi. ऑडियोविजुअल बातचीत कंपनी के डोमेन से ही प्रारंभ की जाएगी, और किसी तृतीय पक्ष सेवा प्रदाता से नहीं। वी-सीआईपी प्रक्रिया को इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित अधिकारियों द्वारा संचालित किया जाएगा। वी-सीआईपी को करने वाले अधिकारी के साथ गतिविधि लॉग को साथ ही उनके प्रमाण-पत्रों को भी याद रखा जाएगा।
- xii. कंपनी सुनिश्चित करेगी कि वीडियो रिकॉर्डिंग को एक सुरक्षित और सुरक्षित तरीके से स्टोर किया जाता है और इसमें तिथि और समय स्टैम्प हो।
- xiii. किसी भी प्रकार के विघटन सहित किसी भी प्रकार की वीडियो को रोकना, कॉल को फिर से जोड़ना, आदि, कई वीडियो फ़ाइलों का निर्माण का कारण नहीं होना चाहिए। यदि विराम या विघटन किसी अन्य फ़ाइलों के निर्माण का कारण नहीं है, तो कंपनी द्वारा एक नए सत्र की आरंभ की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, कॉल ड्रॉप / डिस्कनेक्शन के मामले में, नया सत्र आरंभ किया जाएगा।
- xiv. कंपनी को प्रक्रिया की अखंडता और ग्राहक द्वारा प्रस्तुत जानकारी की पुष्टि करने के लिए नवीनतम उपलब्ध प्रौद्योगिकी, सहित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और फेस मैचिंग प्रौद्योगिकियों की सहायता लेने की प्रोत्साहना की जाती है। हालांकि, ग्राहक पहचान की जिम्मेदारी कंपनी के ऊपर होगी।
- xv. कंपनी को लागू कानून के परिप्रेक्ष्य में आधार संख्या को संपादित या कालाबाजार करने की सुनिश्चित करनी चाहिए।

20. गैर - बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए सरलीकृत प्रक्रिया:

ऐसे मामलों में, कंपनी को अपने विवेकानुसार ऋण खाते खोलने का विचार निम्नलिखित शर्तों के अधीन कर सकती है:

- A. कंपनी को ग्राहक से एक स्व-संपादित फोटोग्राफ प्राप्त करना होगा।
- B. कंपनी के नियुक्त अधिकारी अपने हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित करता है कि ऋण खाता खोलने वाला व्यक्ति उसके सामने अपनी हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान लगा चुका है।
- C. ऋण खाता पहले से ही बारह महीनों के लिए संचालनयोग्य रहेगा, जिसमें सीडीडी कार्यवाही की जाएगी।
- D. ऋण स्वीकृत/सभी खातों में शेष राशि समय के किसी भी बिंदु पर पचास हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- E. सभी खातों में एक साथ कुल श्रेय साल में एक लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।

- F. ग्राहक को जागरूक किया जाएगा कि उसके द्वारा अनुबंध (डी) के अनुलंबन में कोई अतिक्रमण होने पर पूरा KYC प्रक्रिया पूरी नहीं होने तक और कोई अगली लेन-देन अनुमति नहीं होगी।
 - G. जब शेष राशि चालीस हजार रुपये तक पहुंचती है या एक साल में कुल श्रेय आठ्यासी हजार रुपये तक पहुंचता है, तो ग्राहक को सूचित किया जाएगा कि केवाईसी कार्यवाही के लिए उचित दस्तावेज़ प्रस्तुत करना चाहिए, अन्यथा खाते में क्रियान्वयन बंद किया जाएगा जब तक कि डिशन (D) और (E) में निर्धारित सीमा से अधिक हो।
 - H. कंपनी को ग्राहक को सूचित करने और केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए, असफल होने पर कोई अधिक डेबिट अनुमति नहीं होगी।
- 21.** KYC सत्यापन जो किसी कंपनी की एक शाखा / कार्यालय द्वारा एक बार किया गया है, वही उसी कंपनी की किसी अन्य शाखा / कार्यालय में ऋण खाते के स्थानांतरण के लिए मान्य होगा, प्रायोजित पूर्ण KYC सत्यापन के लिए उसी ऋण खाते के लिए और वह पेरियोडिक अपडेटेशन के लिए नहीं है।

भाग II - एकल स्वामित्व वाली फर्मों के लिए सीडीडी उपाय

- 22.** किसी सोल प्रोप्रायटरी फर्म के नाम पर ऋण खाता खोलने के लिए, व्यक्ति (प्रोप्रायटर) का सीडीडी किया जाएगा।
- 23.** उपरोक्त के अतिरिक्त, संप्रति के नाम पर व्यावसाय / गतिविधि के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित में से किसी भी दो दस्तावेज़ या उनके समकक्ष ई-दस्तावेज़ों को भी प्राप्त किया जाएगा:
- A. सरकार द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र जिसमें उद्यम पंजीकरण प्रमाण पत्र (यूआरसी) शामिल है।
 - B. नगर पालिका प्राधिकरण द्वारा जारी प्रमाणपत्र/लाइसेंस व्यापार और स्थापना अधिनियम के अंतर्गत।
 - C. बिक्री और आयकर रिटर्न।
 - D. सीएसटी / वीएटी / जीएसटी प्रमाण पत्र (प्रारंभिक / अंतिम)
 - E. बिक्री टैक्स / सेवा टैक्स / पेशेवर कर प्राधिकरण द्वारा जारी प्रमाण पत्र / पंजीकरण दस्तावेज़।
 - F. प्रोप्रायटरी कंसर्न को डीजीएफटी के कार्यालय द्वारा जारी आयातकर्ता / निर्यातकर्ता कोड (आईईसी) या किसी कानूनी निकाय द्वारा जारी प्रारंभिक कार्य या प्रमाणपत्र, जो किसी विधेयक के तहत शामिल किया गया हो।
 - G. सोल प्रोप्राइटर के नाम पर पूर्ण आयकर रिटर्न (केवल प्रार्थना पत्र नहीं) जिसमें फर्म की आय प्रकट हो, जो आयकर अधिकारियों द्वारा यथाशीघ्र प्रमाणित / स्वीकृत किया गया हो।
 - H. बिजली, पानी, लैंडलाइन टेलीफोन बिल आदि जैसे उपयोगिता बिल।
- 24.** जहां कंपनी को संतुष्टि मिलती है कि दो ऐसे दस्तावेज़ प्रस्तुत करना संभव नहीं है, तो कंपनी अपने विवेकानुसार, व्यावसायिक/गतिविधि के प्रमाण के रूप में उनमें से केवल एक दस्तावेज़ को स्वीकार कर सकती है।

बशर्ते, कंपनी को संपर्क बिंदु सत्यापन करना और ऐसी अन्य जानकारी और स्पष्टीकरण इकट्ठा करने की आवश्यकता होगी जो ऐसे कंपनी के अस्तित्व को स्थापित करने के लिए आवश्यक होंगे, और कंपनी को सुनिश्चित और संतुष्ट करना चाहिए कि व्यवसायिक गतिविधि स्वामित्व के पते से सत्यापित की गई है।

भाग III - कानूनी संस्थाओं के लिए सीडीडी उपाय

- 25.** एक कंपनी के ऋण खाते खोलने के लिए, प्रत्येक निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां या उसके समकक्ष ई-दस्तावेज़ होना चाहिए:
- A. नामांकन प्रमाणपत्र
 - B. संस्था और अधिनियम
 - C. कंपनी का स्थायी खाता संख्या
 - D. निदेशक मंडल का निर्णय और उसके प्रबंधकों, अधिकारियों या कर्मचारियों को जिन्होंने उसके पक्ष में लेन-देन के लिए विधिपूर्वक या प्राधिकार प्रदान किया हो।
 - E. कंपनी के पक्ष में लेन-देन करने के लिए वकील रखने वाले प्राधिकारिक स्वामी, प्रबंधक, अधिकारी या कर्मचारियों से संबंधित सीडीडी दस्तावेज़।
- 26.** एक साझेदारी फर्म के ऋण खाते खोलने के लिए, प्रत्येक निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां या उनके समकक्ष ई-दस्तावेज़ होना चाहिए:
- A. सरकार द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र जिसमें उद्यम पंजीकरण प्रमाण पत्र (यूआरसी) शामिल है।
 - B. साझेदारी दस्तावेज़
 - C. साझेदारी फर्म का स्थायी खाता संख्या (पैन)
 - D. ऐसे विशिष्ट दस्तावेज़ जो अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 18 में उल्लिखित हैं, जिनमें लाभार्थी मालिक, प्रबंधक, अधिकारी या कर्मचारी, जो किसी मामले में हो सकते हैं, अपनी पक्ष पर अधिकारी को दस्तावेज़ संबंधित हैं।
 - E. सभी साझेदारों के नाम और
 - F. पंजीकृत कार्यालय का पता, और यदि यह अलग है तो उसके व्यावसायिक स्थान का पता।
- 27.** एक ट्रस्ट के ऋण खाते खोलने के लिए, प्रत्येक निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां या उसके समकक्ष ई-दस्तावेज़ होना चाहिए:
- A. पंजीकरण प्रमाणपत्र
 - B. विश्वासपत्र
 - C. स्थायी खाता संख्या या ट्रस्ट का फॉर्म संख्या 60
 - D. धारा 16 या धारा 18 में उल्लिखित दस्तावेज़, जो लाभाधिकारी, प्रबंधक, अधिकारी या कर्मचारियों से संबंधित होते हैं, जैसा कि मामला हो, जो इसके पक्ष में वकील को सौदा करने के लिए हैं।
 - E. ट्रस्ट के लाभार्थियों, ट्रस्टीज़, सेट्टलर और ट्रस्ट के लेखकों के नाम
 - F. ट्रस्ट के पंजीकृत कार्यालय का पता
 - G. ट्रस्ट के ट्रस्टीज़ की सूची और उन दस्तावेजों का विवरण, जैसा कि धारा 16 में उल्लिखित है, जो ट्रस्टी की भूमिका को निर्वाह करते हैं और ट्रस्ट की पक्ष से सौदा करने के लिए अधिकृत हैं।
- 28.** एक अव्यवस्थित संघ या व्यक्तियों के एक समूह के ऋण खाता खोलने के लिए, निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियाँ या उसके समकक्ष ई-दस्तावेज़ प्राप्त की जानी चाहिए:
- A. ऐसे संघ या व्यक्तियों के प्रबंधन निकाय का निर्णय
 - B. अव्यवस्थित संघ या व्यक्तियों का स्थायी खाता संख्या या फॉर्म संख्या 60
 - C. उसके पक्ष में सौदा करने के लिए प्रदान किया गया प्राधिकार
 - D. सीडीडी दस्तावेज़, जो लाभाधिकारी, प्रबंधक, अधिकारी या कर्मचारियों से संबंधित होते हैं, जैसा कि मामला हो, जो इसके पक्ष में सौदा करने के लिए वकील को धारित करते हैं। और

- E.** ऐसी जानकारी जो कंपनी को इस तरह के संघ या व्यक्तियों के कानूनी अस्तित्व को संयुक्त रूप से स्थापित करने के लिए आवश्यक हो सकती है।

स्पष्टीकरण - अपंजीकृत ट्रस्ट/साझेदारी कंपनियों को 'अपंजीकृत संघ' के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।
स्पष्टीकरण - शब्द 'व्यक्तियों का समूह' समाजों को शामिल करता है।

- 29.** ग्राहक जो कानूनी व्यक्ति है (पूर्व में विशेष रूप से शामिल नहीं किया गया) जैसे समाज, विश्वविद्यालय और ग्राम पंचायत आदि, या जो ऐसे कानूनी व्यक्ति या व्यक्ति या ट्रस्ट के पक्ष में कार्रवाई करने का दावा करता है, उनके ऋण खाता खोलने के लिए, निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियाँ या उसके समकक्ष इ-दस्तावेज़ प्राप्त और स्थापित की जानी चाहिए:

- A.** व्यक्ति के नाम को दिखाने वाला दस्तावेज़ जो इकाई के पक्ष में कार्रवाई के लिए अधिकृत है।
- B.** दस्तावेज़, जैसा कि धारा १६ या धारा १८ में निर्दिष्ट है, एक वकील के पास अपनी ओर से लेनदेन करने के लिए और
- C.** व्यक्ति/कानूनी व्यक्ति के कानूनी अस्तित्व को स्थापित करने के लिए कंपनी द्वारा आवश्यक माने जाने वाले ऐसे दस्तावेज़।

भाग IV - लाभकारी स्वामी की पहचान

- 30.** प्राकृतिक व्यक्ति न होने वाले कानूनी व्यक्ति के ऋण खाता खोलने के लिए, लाभाधिकारिओं की पहचान की जाएगी और नियमों की नियम 9 के उप-नियम (3) के अनुसार उनकी पहचान की पुष्टि के लिए सभी उचित कदम उठाए जाएंगे, जिसमें निम्नलिखित को ध्यान में रखकर किया जाएगा:

- A.** जहां ग्राहक या नियंत्रित हित का मालिक (i) भारत में एक स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध एक इकाई है, या (ii) यह केंद्र सरकार द्वारा सूचित क्षेत्रों में निवास करने वाली इकाई है और ऐसे क्षेत्रों में स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध है, या (iii) ऐसी सूचीबद्ध इकाइयों की उप-इकाइ है; ऐसी इकाइयों के किसी भी सेंट्रिन्शोल्डर या लाभार्थी की पहचान और पहचान की पुष्टि करने की आवश्यकता नहीं है।
- B.** ट्रस्ट/नॉमिनी या फिड्यूसरी खातों के मामलों में कि क्या ग्राहक किसी अन्य व्यक्ति की ओर से ट्रस्टी/नॉमिनी या किसी अन्य मध्यस्थ के रूप में कार्य कर रहा है, निर्धारित किया जाता है। ऐसे मामलों में, मध्यस्थों और उन व्यक्तियों की पहचान के संतोषजनक सबूत भी प्राप्त किए जाएंगे जिनकी ओर से वे कार्य कर रहे हैं, साथ ही ट्रस्ट की प्रकृति या अन्य व्यवस्थाओं का विवरण भी प्राप्त किया जाएगा।

भाग V - चल रही समीक्षा और सावधानी

- 31.** कंपनी को ग्राहकों के चल रही सावधानी का कार्य करना होगा ताकि उनके लेन-देन उनके ग्राहकों, ग्राहकों के व्यापार और जोखिम प्रोफाइल और निधि के स्रोत के बारे में उनके ज्ञान के साथ सरेखित हों।

- 32.** इन कारकों को निकट निगरानी के लिए बुलाने के लिए कोई प्राथमिकता के अपवाद के बिना निम्नलिखित प्रकार की लेन-देन का अनिवार्य रूप से निगरानी की जानी चाहिए:

- A.** बड़ी और जटिल लेन-देन, और ऐसे वे जिनमें असाधारण पैटर्न हो, जो ग्राहक की सामान्य और अपेक्षित गतिविधि के साथ असंगत हो, और जिनमें कोई स्पष्ट आर्थिक तर्क या वैध उद्देश्य न हो।
- B.** निर्धारित थ्रेशोल्ड को पार करने वाली लेन-देन।
- C.** ग्राहक की प्रोफाइल के साथ असंगत उच्च खाता परिवर्तन।
- D.** तीसरे पक्ष के चेक, ड्राफ्ट, आदि प्रदान करना।

चल रही सावधानी के लिए, कंपनी को प्रभावी निगरानी का समर्थन करने के लिए उपयुक्त नवाचारों को अपनाने का विचार करना चाहिए, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग (AI और ML) प्रौद्योगिकियों को शामिल किया जा सकता है।

33. निगरानी का स्तर ग्राहक के जोखिम वर्ग के साथ संरेखित होना चाहिए।

स्पष्टीकरण: उच्च जोखिम वाले खातों को अधिक संवेदनशील निगरानी के अधीन रखना होगा।

- A.** खातों के जोखिम वर्गीकरण की आवधिक समीक्षा प्रणाली, जिसकी आवधिकता कम से कम **छह महीने** में एक बार हो, और उन्हें बढ़ी हुई निगरानी उपायों को लागू करने की आवश्यकता होगी।

34. केवाईसी की अपडेशन / आवधिक अपडेशन

आवधिक अपडेशन को कम से कम हर दो साल में **एक बार** उच्च जोखिम वाले ग्राहकों के लिए, प्रत्येक **आठ साल** में **एक बार** माध्यम जोखिम वाले ग्राहकों के लिए और प्रत्येक **दस साल** में **एक बार** कम जोखिम वाले ग्राहकों के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जाना चाहिए:

A. व्यक्तिगत ग्राहक:

केवाईसी जानकारी में कोई परिवर्तन नहीं: केवाईसी जानकारी में कोई परिवर्तन के मामले में, इस संबंध में ग्राहक से उसके ईमेल-आईडी जो कंपनी के साथ पंजीकृत है, ग्राहक के मोबाइल नंबर जो कंपनी के साथ पंजीकृत है, डिजिटल चैनल (जैसे कि ऑनलाइन बैंकिंग / इंटरनेट बैंकिंग, कंपनी का मोबाइल एप्लिकेशन) के माध्यम से, पत्र इत्यादि के माध्यम से ग्राहक की आत्म-घोषणा प्राप्त की जाएगी।

एड्रेस में परिवर्तन: ग्राहक के पता विवरण में केवल परिवर्तन के मामले में, नए पते की आत्म-घोषणा ग्राहक के द्वारा कंपनी के साथ पंजीकृत ईमेल-आईडी, कंपनी के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर, डिजिटल चैनल (जैसे कि ऑनलाइन बैंकिंग / इंटरनेट बैंकिंग, कंपनी का मोबाइल एप्लिकेशन), पत्र इत्यादि के माध्यम से प्राप्त की जाएगी, और घोषित पते की पुष्टि दो महीने के भीतर सकारात्मक पुष्टि के माध्यम से की जाएगी, जैसे पते की पुष्टि पत्र, संपर्क बिंदु पुष्टि, डिलीवरेबल्स आदि।

इसके अलावा, कंपनी को पता की पुष्टि के लिए ग्राहक द्वारा आवधिक अपडेशन के समय घोषित पते के लिए, निर्देशों की धारा 3 (a) (xiii) में परिभाषित ओवीडी या डीम्ड ओवीडी या उसके समकक्ष इ-दस्तावेजों की प्रति प्राप्त की जा सकती है, जिसके उद्देश्य से वे पता की पुष्टि के लिए हैं।

उन ग्राहकों के खाते, जो खाता खोलने के समय नाबालिग थे, उनके प्रमुख बनने पर: ऐसे मामलों में, उनके प्रमुख बनने पर ताजा तस्वीरें प्राप्त की जाएंगी और उस समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वर्तमान सीडीडी मानकों के अनुसार सीडीडी दस्तावेज कंपनी के पास उपलब्ध हों। जहां भी आवश्यक हो, कंपनी ऐसे ग्राहकों का नया केवाईसी कर सकती है।

B. व्यक्तियों के अलावा अन्य ग्राहक:

केवाईसी जानकारी में कोई परिवर्तन नहीं: यदि कोई विधिक संस्था (एलई) ग्राहक की केवाईसी जानकारी में कोई परिवर्तन नहीं है, तो इस संबंध में एलई ग्राहक से इस संबंध में एक आत्म-घोषणा प्राप्त की जाएगी, जो कंपनी के साथ पंजीकृत ईमेल आईडी के माध्यम से, डिजिटल चैनल (जैसे कि ऑनलाइन बैंकिंग / इंटरनेट बैंकिंग, कंपनी का मोबाइल एप्लिकेशन), विधिक संस्था द्वारा इस संबंध में अधिकृत अधिकारी द्वारा पत्र, बोर्ड निर्णय, आदि के माध्यम से किया जाएगा। साथ ही, इस प्रक्रिया के दौरान कंपनी सुनिश्चित करेगी कि उनके पास मौजूद Beneficial Ownership (BO) जानकारी स्टीक है और यदि आवश्यक हो, तो उसे अपडेट करेगी, ताकि यह संभव हो सके कि वह इसे सबसे अद्यतन रखे।

केवाईसी जानकारी में परिवर्तन: यदि केवाईसी जानकारी में परिवर्तन है, तो कंपनी को एक नए कानूनी एंटिटी (एलई) ग्राहक को ऑनबोर्ड करने के लागू केवाईसी प्रक्रिया को अपनाना होगा।

- C. Aadhaar OTP आधारित ई-केवाईसी को गैर-चेहरे से चेहरे मोड में आधारित आधार OTP के माध्यम से समयानुसार अपडेशन के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। स्पष्ट करने के लिए, धारा 17 में निर्धारित शर्तें अपडेशन / समयानुसार अपडेशन में आधार OTP आधारित ई-केवाईसी के माध्यम से लागू नहीं हैं।

यदि वर्तमान पता आधार में दिए गए पते से अलग है, तो इस मामले में सकारात्मक पुष्टि की आवश्यकता नहीं होगी। कंपनी को सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी धोखाधड़ी को रोकने के लिए आधार प्रमाणीकरण के लिए मोबाइल नंबर ग्राहक के प्रोफाइल में उनके पास उपलब्ध नंबर के समान हो।

- D. अतिरिक्त उपाय: उपरोक्त के अलावा, कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि, ग्राहक की केवाईसी दस्तावेज़ वर्तमान सीडीडी मानकों के अनुसार उपलब्ध हैं। यह लागू होता है यदि ग्राहक जानकारी में कोई परिवर्तन न हो, लेकिन कंपनी के पास उपलब्ध दस्तावेज़ वर्तमान सीडीडी मानकों के अनुसार नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, यदि सीडीडी दस्तावेज़ की वैधता समयानुसार अपडेशन की गई केवाईसी के समय को खत्म हो गई है, तो कंपनी को नए ग्राहक को ऑनबोर्ड करने के लागू समान केवाईसी प्रक्रिया को अपनानी होगी।

ग्राहक का पैन विवरण, यदि कंपनी के पास उपलब्ध है, तो नियमित अपडेशन के समय केवाईसी की जांच के लिए जारी कर्ता के डेटाबेस से सत्यापित किया जाता है।

ग्राहक को समयानुसार अपडेशन कार्य के लिए ग्राहक से आवश्यक दस्तावेजों के प्राप्ति की तिथि को उल्लेख करके प्राप्ति प्रदान की जाती है, जिसमें स्व-घोषणा भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, यह सुनिश्चित किया जाता है कि केवाईसी के समय ग्राहकों से प्राप्त की गई जानकारी / दस्तावेज़ को कंपनी के रिकॉर्ड / डेटाबेस में तकाल अपडेट किया जाता है, और ग्राहक को केवाईसी विवरण के अपडेशन की तिथि का उल्लेख करने वाले एक सूचना प्रदान की जाती है।

ग्राहक सुविधा सुनिश्चित करने के लिए, कंपनी को किसी भी शाखा में KYC के नियमित अपडेशन की सुविधा उपलब्ध कराने का विचार कर सकती है।

कंपनी अपने विकल्प के रूप में, ग्राहक की उपस्थिति को आवश्यक बता सकती है केवाईसी उपयोग के लिए या आधार प्रमाणीकरण / ऑफलाइन सत्यापन के लिए सहमति प्रदान करने के लिए, सहित हो सकता है यदि किसी भी पर्याप्त कारण से खाता धारक / धारकों की भौना-फाइड की स्थापना के लिए उनकी शारीरिक उपस्थिति की आवश्यकता हो। सामान्यतः OVD / सहमति जो ग्राहक द्वारा मेल / डाक, आदि के माध्यम से आगे भेजी जाती है, वह स्वीकार्य होगी।

कंपनी को दिनांकीय अपडेशन के संदर्भ में एक जोखिम-आधारित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। कंपनी द्वारा अपनाया जाने वाला कोई भी अतिरिक्त और असाधारण उपाय, जो ऊपर दिए गए निर्देशों के अंतर्गत नहीं है, जैसे कि हाल की फोटोग्राफ प्राप्त करने की आवश्यकता, ग्राहक की शारीरिक उपस्थिति की आवश्यकता, केवाईसी का दिनांकीय अपडेशन केवल कंपनी की शाखा में ही किया जाता है जहां खाता संचालित है, न्यूनतम निर्दिष्ट दिनांकीयता से अधिक अधिक बार केवाईसी अपडेशन की आवश्यकता इत्यादि, को तयस्त रूप से आंतरिक केवाईसी नीति में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए, जिसे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड के किसी समिति द्वारा स्वीकृत किया गया हो।

- E. कंपनी को ग्राहकों को सलाह देगी कि पीएमएल नियमों का पालन करने के लिए, यदि व्यावसायिक संबंध / खाता-आधारित संबंध की स्थापना के समय ग्राहक द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी भी दस्तावेज़ में कोई अपडेट होती है और इसके बाद, जैसे की आवश्यकता हो; ग्राहकों को कंपनी को ऐसे दस्तावेज़ के अपडेट को प्रस्तुत करना चाहिए। इसे कंपनी के अंत में रिकॉर्डों को अपडेट करने के उद्देश्य से दस्तावेज़ के अपडेट के 30 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।

- 35.** मौजूदा ग्राहकों के मामले में, कंपनी को केंद्र सरकार द्वारा सूचित तिथि तक स्थायी खाता संख्या या समकक्ष ई-दस्तावेज या फॉर्म संख्या 60 प्राप्त करनी चाहिए, जिसमें ग्राहक द्वारा समर्थन की जाती है, अन्यथा कंपनी को खाते में कार्यान्वयन अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा जब तक समर्थन देने के लिए स्थायी खाता संख्या या समकक्ष ई-दस्तावेज या फॉर्म संख्या 60 ग्राहक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाता।

बशर्ते कि ऋण खाते के लिए अस्थायी रूप से संचालन बंद करने से पहले (यानी किसी भी आगे के डेबिट को निलंबित करना), कंपनी ग्राहक को सुलभ नोटिस और सुनवाई का उचित अवसर देगी। इसके अलावा, कंपनी अपनी आंतरिक नीति में, उन ग्राहकों के लिए निरंतर सेवाओं के लिए उचित छूट(ओं) को शामिल करेगी जो बुढ़ापे के कारण या अन्यथा चोट, बीमारी या दुर्बलता के कारण स्थायी खाता संख्या या उसके समकक्ष ई - दस्तावेज या फॉर्म नंबर ६० प्रदान करने में असमर्थ हैं, और इस तरह के कारण। हालांकि, ऐसे ग्राहक संबंध बढ़ी हुई निगरानी के अधीन होंगे।

बशर्ते कि यदि कंपनी के साथ मौजूदा ऋण - आधारित संबंध रखने वाला ग्राहक कंपनी को लिखकर देता है कि वह अपना स्थायी खाता संख्या या उसके समकक्ष ई - दस्तावेज या फॉर्म नंबर ६० जमा नहीं करना चाहता है, तो कंपनी ऋण खाते को बंद कर देगी (यानी किसी भी आगे के डेबिट को निलंबित कर देगी) और ग्राहक को लागू होने वाले पहचान दस्तावेजों को प्राप्त करके ग्राहक की पहचान स्थापित करने के बाद सभी दायित्वों को उचित रूप से निपटाया जाएगा।

स्पष्टीकरण – इस धारा के उद्देश्य के लिए, "संचालन का अस्थायी बंद होना" एक खाते के संबंध में सभी लेन-देन या गतिविधियों का अस्थायी रूप से निलंबन करने का अर्थ है कंपनी द्वारा तब तक जब तक ग्राहक इस धारा की प्रावधानिकता का पालन नहीं करता। ऋण खातों जैसे संपत्ति खातों के मामले में, खाते की प्रक्रिया को बंद करने के लिए, केवल क्रेडिट की अनुमति दी जाएगी।

भाग VI - संवर्धित और सरलीकृत उचित परिश्रम प्रक्रिया

(A) नॉन - फेस - टू - फेस कस्टमर ऑनबोर्डिंग के लिए एन्हांसड ड्यू डिलिजेंस (ईडीडी) (सेक्शन 17 के अनुसार कस्टमर ऑनबोर्डिंग के अलावा): आमने - सामने ऑनबोर्डिंग से कंपनी को ग्राहक से शारीरिक रूप से या वी - सीआईपी के माध्यम से मिले बिना ग्राहक के साथ संबंध स्थापित करने की सुविधा मिलती है। इस खंड के उद्देश्य के लिए इस तरह के नॉन - फेस - टू - फेस मोड में सीकेवाईसीआर, डिजीलॉकर, समकक्ष ई - दस्तावेज आदि जैसे डिजिटल चैनलों का उपयोग शामिल है, और गैर - डिजिटल मोड जैसे कि एनआरआई और पीआईओ के लिए अनुमति के अनुसार अतिरिक्त प्रमाणित अधिकारियों द्वारा प्रमाणित ओवीडी की प्रति प्राप्त करना शामिल है।

गैर - आमने - सामने के ग्राहक ऑनबोर्डिंग (धारा १७ के संदर्भ में ग्राहक ऑनबोर्डिंग के अलावा) के लिए आरई द्वारा निम्नलिखित ईडीडी उपाय किए जाएंगे:

- A.** कंपनी ने वी-सीआईपी प्रक्रिया की शुरुआत की है, तो उसे ग्राहक को गैर-चेहरे-से-चेहरे पंजीकरण के लिए पहला विकल्प प्रदान किया जाएगा। यह दोहराया जाता है कि वी-सीआईपी के लिए निर्धारित मानकों और प्रक्रियाओं का पालन करने वाली प्रक्रियाएँ इस मास्टर निर्देश के उद्देश्य के लिए चेहरे-से-चेहरे सीआईपी के समान रूप से देखी जाएंगी।
- B.** धोखाधड़ी को रोकने के लिए, सौदों OTP, सौदे की अपडेट आदि के लिए इन खातों को CDD के बाद वैकल्पिक मोबाइल नंबरों से लिंक नहीं किया जाएगा। सौदों की अनुमति केवल खाता खोलने के लिए उपयोग किए गए मोबाइल नंबर से होगी। कंपनी के पास पंजीकृत मोबाइल नंबर के परिवर्तन के लिए अनुरोधों को संबोधित करने के लिए एक मजबूत प्रक्रिया का निर्देशित किया गया पॉलिसी होगी जो बोर्ड द्वारा मंजूर होगी।
- C.** वर्तमान पता प्रमाण प्राप्त करने के अलावा, कंपनी को खाते में ऑपरेशन की अनुमति देने से पहले वर्तमान पते की पुष्टि की जानी चाहिए। सकारात्मक पुष्टि जैसे की पता पुष्टि पत्र, संपर्क बिंदु पुष्टि, वितरित करने जैसे साधनों के द्वारा किया जा सकता है।
- D.** कंपनी ग्राहक से पैन प्राप्त करेगी और जारीकर्ता प्राधिकारी की सत्यापन सुविधा से पैन का सत्यापन किया जाएगा।

- E. ऐसे खातों में पहला लेन-देन ग्राहक के मौजूदा केवाईसी-अनुकूलित बैंक खाते से होगा।
- F. ऐसे ग्राहकों को उच्च जोखिम वाले ग्राहकों के रूप में श्रेणीबद्ध किया जाएगा और गैर-चेहरे-से-चेहरे मोड में खोले गए खातों पर वैयक्तिक रूप से या वी-सीआईपी के माध्यम से ग्राहक की पहचान सत्यापित हो जाने तक मामूली निगरानी के अधीन रहेंगे।

36. नॉन - फेस - टू - फेस ग्राहकों का ऋण खाता (ऑन - बोर्डिंग के आधार पर आधार ओटीपी के अलावा): नॉन - फेस - टू - फेस ग्राहकों के लिए अधिक निगरानी के लिए कंपनी सुनिश्चित करेगी कि पहला भुगतान/वितरण ग्राहक के केवाईसी-अनुकूलित खाते के माध्यम से दूसरी कंपनी के साथ किया जाए।

37. राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्तियों (पीईपी) के ऋण खाते

A. कंपनी को व्यक्तिगत पद प्राधिकारियों (PEPs) के साथ संबंध स्थापित करने का विकल्प होगा प्राप्त कि:

- (a) पीईपी पर परिवार के सदस्यों और करीबी रिश्तेदारों के धन के स्रोतों के बारे में जानकारी सहित पर्याप्त जानकारी एकत्र की जाती है।
- (b) ग्राहक के रूप में पीईपी को स्वीकार करने से पहले व्यक्ति की पहचान सत्यापित की जानी चाहिए।
- (c) पीईपी के लिए ऋण खाता खोलने का निर्णय ग्राहक स्वीकृति नीति के अनुसार वरिष्ठ स्तर पर लिया जाता है।
- (d) ये सभी ऋण खाते नियमित आधार पर अधिक निगरानी के अधीन होते हैं।
- (e) यदि किसी मौजूदा ग्राहक या मौजूदा ऋण खाते के लाभार्थी के बाद में पीईपी बनता है, तो व्यावसायिक संचालन जारी रखने के लिए वरिष्ठ प्रबंधन की मंजूरी प्राप्त की जाती है।
- (f) पीईपी के लिए लागू सीडीडी उपाय जो लागू हैं, इसमें नियमित आधार पर अधिक निगरानी के साथ लागू होते हैं।

B. ये निर्देश उन ऋण खातों पर भी लागू होंगे जहाँ एक पीईपी लाभार्थक है।

स्पष्टीकरण: इस अनुभाग के लिए, "राजनीतिक व्यक्तित्व से संबंधित व्यक्तियों" (PEPs) वह व्यक्तियाँ होते हैं जो किसी विदेशी देश द्वारा प्रमुख सार्वजनिक कार्यों का दायित्व निर्भर किया गया है या किया गया है, जिसमें राज्य/सरकारों के प्रमुख, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ, वरिष्ठ सरकारी या न्यायिक या सैन्य अधिकारी, राज्य स्वामित्व वाली निगमों के वरिष्ठ कार्यकारी और महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टी के अधिकारी शामिल होते हैं।

38. पेशेवर मध्यस्थों द्वारा खोले गए ग्राहक ऋण खाते:

कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि पेशेवर मध्यस्थों के माध्यम से ऋण खातों को खोलते समय, जैसा कि कानून द्वारा परमिट किया जा सकता है,

- (a) एकल ग्राहक की ओर से एक पेशेवर मध्यस्थ द्वारा ऋण खाता खोले जाने पर ग्राहकों की पहचान की जाएगी।
- (b) कंपनी को विकेन्द्रित मध्यस्थों द्वारा संचालित 'जमा' खातों को संचालित करने का विकल्प होगा, जो एकाधिकता धारकों जैसे म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड या अन्य प्रकार के फंडों के पक्ष में होते हैं।
- (c) कंपनी ऐसे पेशेवर मध्यस्थों के ऋण खाते नहीं खोलेगी जिन्हें किसी ग्राहक गोपनीयता के तहत बाधित किया जाता है जो कंपनी को ग्राहक के विवरण की उल्लेख नहीं करने की अनुमति देता है।
- (d) यदि मध्यस्थों द्वारा धारित निधियों को कंपनी के स्तर पर संघटित नहीं किया जाता है, और 'उप-खाते' हैं, जिनमें प्रत्येक का एक प्रतिष्ठात्मक स्वामी होता है, या जहाँ ऐसे निधि कंपनी के स्तर पर संघटित किए जाते हैं, कंपनी को प्रतिष्ठात्मक स्वामियों की खोज करनी चाहिए।
- (e) कंपनी अपने विवेकाधीनता के आधार पर, एक मध्यस्थ द्वारा किये गए 'ग्राहक उचित जांच' (CDD) पर निर्भर करेगी, प्रावधान कि मध्यस्थ एक नियामक और निगरानीत एंटिटी है और ग्राहकों के KYC आवश्यकताओं का पालन करने के लिए पर्याप्त प्रणालियों को अपनाता है।

(f) ग्राहक को जानने की अंतिम जिम्मेदारी कंपनी के पास होती है।

39. कम जोखिम वर्ग के ग्राहकों के लिए दस्तावेजों की एक संकेतात्मक सूची अनुलग्नक III में निर्दिष्ट की गई है।

अध्याय VII रिकॉर्ड प्रबंधन

40. PML अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के संदर्भ में ग्राहक खाता जानकारी के रखरखाव, संरक्षण और रिपोर्टिंग के संबंध में निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे। कंपनी को,

(a) ग्राहक और कंपनी के बीच सभी आवंटनों के सभी आवश्यक रिकॉर्डों का रखरखाव **कम से कम पांच वर्ष** तक बनाये रखना।

(b) ऋण खाता खोलते समय/रिश्ते के शुरू होने पर और व्यावसायिक संबंध के दौरान, व्यावसायिक संबंध समाप्त होने के **कम से कम पांच वर्षों** के लिए ग्राहकों की पहचान और उनके पते से संबंधित रिकॉर्ड को संरक्षित करें;

(c) अधिकारी अनुरोध पर पहचान रिकॉर्ड और लेन-देन डेटा को पारदर्शी प्राधिकरण के लिए उपलब्ध कराना।

(d) मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम (रिकॉर्ड का रखरखाव) नियम, 2005 (पीएमएल नियम, 2005) के नियम 3 के तहत निर्धारित लेनदेन के उचित रिकॉर्ड को बनाए रखने की एक प्रणाली पेश करना;

(e) व्यक्तिगत लेन-देन के पुनर्निर्माण की अनुमति देने के लिए निम्नलिखित समिलित होने के लिए PML नियम 3 के अधीन निर्धारित लेन-देन के संबंध में सभी आवश्यक जानकारी को बनाए रखना, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) लेन - देन की प्रकृति;

(ii) लेन - देन की राशि और वह मुद्रा जिसमें इसे नामित किया गया था;

(iii) जिस तारीख को लेन - देन किया गया था; और

(iv) लेन - देन के पक्षकार हैं।

(f) सही रूप से जानकारी का रखरखाव और संरक्षण करने के लिए एक प्रणाली का विकसित करें जिसका परिणाम हो कि जब भी या जब आवश्यक हो, तो ऑँकड़े आसानी से और तेजी से प्राप्त किए जा सकें, या यदि प्राधिकरण द्वारा अनुरोध किया जाता है।

(g) अपने ग्राहक की पहचान और पते के रिकॉर्ड, और नियम 3 में उल्लिखित लेन-देन के रिकॉर्ड को हार्ड या सॉफ्ट फॉर्मेट में बनाए रखें।

स्पष्टीकरण - इस अनुभाग के उद्देश्य के लिए, "पहचान से संबंधित रिकॉर्ड", "पहचान रिकॉर्ड", आदि शब्दों में "पहचान डेटा के अपडेट किए गए रिकॉर्ड, खाता फ़ाइलें, व्यापार संवाद और किए गए किसी भी विश्लेषण के परिणाम" शामिल होंगे।

41. कंपनी को सुनिश्चित करना चाहिए कि गैर-लाभकारी संगठनों के ग्राहकों के विवरण एनआईटीआई आयोग के दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत हों। यदि वे पंजीकृत नहीं हैं, तो कंपनी को उन विवरणों को दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत करना चाहिए। कंपनी को इस पंजीकरण रिकॉर्ड को भी उसके बाद के पांच वर्षों तक बनाए रखना चाहिए जब तक ग्राहक और कंपनी के बीच व्यापारिक संबंध समाप्त नहीं हो गया हो या खाता बंद नहीं हो गया हो, जो भी देर से हो।

अध्याय VIII वित्तीय इंटेलिजेंस इकाई को रिपोर्ट करने की आवश्यकताएँ - भारत

42. कंपनी को भारतीय वित्तीय इंटेलिजेंस इकाई (FIU-IND) के निदेशक को 2005 के PML (रिकॉर्ड रखरखाव) नियम के नियम 7 के तहत नियम 3 में संदर्भित जानकारी प्रस्तुत करेगी।

स्पष्टीकरण: नियम 7 के उप नियम 3 और 4 में संशोधन के संबंध में 22 सितंबर, 2015 को अधिसूचित तीसरे संशोधन नियमों के संदर्भ में, निदेशक, एफआईयू - आईएनडी के पास नियम 3 के उप - नियम (1) के विभिन्न खंडों में निर्दिष्ट लेनदेन का पता

लगाने के लिए रिपोर्टिंग संस्थाओं को दिशानिर्देश जारी करने, उन्हें प्रस्तुत करने की जानकारी के रूप के बारे में निर्देशित करने और प्रक्रिया और प्रस्तुत करने के तरीके को निर्दिष्ट करने की शक्तियां होंगी।

43. फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट-इंडिया (FIU-IND) द्वारा निर्धारित/जारी किए गए रिपोर्टिंग प्रारूप और व्यापक रिपोर्टिंग प्रारूप मार्गदर्शिका, और रिपोर्ट उत्पादन उपयोगीता और रिपोर्ट मान्यता उपयोगीता जो निर्धारित रिपोर्टों के तैयारी में रिपोर्टिंग एंटीटी को सहायक बनाने के लिए विकसित किए गए हैं, का ध्यान रखा जायेगा। कंपनी को जो कि अभी तक उपयुक्त प्रौद्योगिकी उपकरणों को स्थापित/अपनाया नहीं किया है उनकी लाइव लेनदेन डेटा से CTR/STR को निकालने के लिए, वे FIU-IND द्वारा अपनी वेबसाइट पर रखी हुई संपादनीय इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करेंगे। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिनकी सभी शाखाएँ पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत नहीं हैं, को उन शाखाओं से लेनदेन विवरण को निकालने और FIU-IND द्वारा उपलब्ध किए गए संपादनीय इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सहायता से डेटा को इलेक्ट्रॉनिक फाइल में भरने के लिए उपयुक्त व्यवस्था होगी। FIU-IND के वेबसाइट <http://fiuindia.gov.in> पर उपलब्ध किए गए CTR/STR के संपादनीय इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मदद से। रिपोर्ट की पहचान के लिए रिपोर्ट करने के लिए विशिष्ट STR/CTR की नमूना सूची अनुबंध - IV में संलग्न की गई है।

44. निदेशक, FIU-IND को सूचना प्रदान करते समय, नियम में निर्दिष्ट समय सीमा से परे लेनदेन की सूचना न करने या गलत तरीके से प्रस्तुत लेनदेन की सुधार की हर दिन की विलम्ब से एक अलग उल्लंघन के रूप में माना जाएगा। कंपनी को किसी भी उपयोगकर्ता खातों में ऑपरेशन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए जहां STR फाइल किया गया है। कंपनी को STR की प्रस्तुति का तथ्य सख्त रूप से गोपनीय रखना चाहिए। इसे सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी स्तर पर ग्राहक को कोई सूचना न दी जाए।

45. कंपनी के पास पर्याप्त प्रणालियां, और प्रक्रियाएँ होंगी, जिसमें व्यवसाय की आवश्यकताओं के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के माध्यम से और संदिग्ध लेनदेन की प्रभावी पहचान और रिपोर्टिंग को सक्षम करने के लिए उपयुक्त होगा।

अध्याय IX - अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत आवश्यकताएँ/ दायित्व

अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से संचार

46. अवैध गतिविधियों (निवारण) (UAPA) अधिनियम, 1967 के अधीन दायित्व: कंपनी को सुनिश्चित करना चाहिए कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) (UAPA) अधिनियम, 1967 की धारा 51A और उसमें संशोधन के संदर्भ में, उनके पास व्यक्तियों और संस्थाओं की सूची में दिखाई देने वाले व्यक्तियों/संस्थाओं के नाम पर कोई ऋण खाता नहीं है, जिनके आतंकवादी संबंध होने का संदेह है, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा अनुमोदित और समय - समय पर प्रसारित किया जाता है। दो सूचियों का विवरण निम्नानुसार है:

(a) आईएसआईएल (दाइश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची, जिसमें अल-कायदा से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के नाम शामिल हैं। अद्यतित आईएसआईएल और अल-कायदा प्रतिबंध सूची निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:

<https://scsanctions.un.org/fop/fop?xml=htdocs/resources/xml/en/consolidated.xml&xslt=htdocs/resources/xsl/en/al-qaida-r.xsl>

(b) 1988 प्रतिबंध सूची, जिसमें टालिबान से जुड़े व्यक्तियों (संगठन A के अनुभाग) और संस्थाओं (अनुभाग B) के नाम शामिल हैं। यह सूची निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:

<https://scsanctions.un.org/fop/fop?xml=htdocs/resources/xml/en/consolidated.xml&xslt=htdocs/resources/xsl/en/taliban-r.xsl>

कंपनी को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे समय-समय पर संशोधित प्राधिकृत क्रियावली और आतंकवाद को रोकने और दमन करने (सुरक्षा परिषद निर्णयों के कार्यान्वयन) आदेश, 2007 की सूचियों में उपलब्ध सूचियों का भी संदर्भ करें। उपरोक्त सूचियों, अर्थात्, संयुक्त राष्ट्र संरक्षण सूची और आतंकवाद को रोकने और दमन करने (सुरक्षा परिषद निर्णयों के कार्यान्वयन) आदेश, 2007 की सूचियों को भी दैनिक आधार पर सत्यापित किया जाए और सूचियों में किसी प्रकार के जोड़ों, हटावों या अन्य परिवर्तनों का समावेश किया जाए और रिपोर्टिंग एंटीटी के द्वारा खासगी मानदंड का पालन किया जाए।

47. 2005 के विस्फोटक हथियार (WMD) और उनके पहुंच प्रणालियों (अवैध गतिविधियों का निषेध) अधिनियम के अधीन दायित्व:

- (a) कंपनी को ध्यानपूर्वक संबंधितता विनिमय अधिकारी (CRO) के साथ विस्फोटक हथियार (WMD) और उनके पहुंच प्रणालियों (अवैध गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005 के धारा 12A के कार्यान्वयन के लिए "प्रक्रिया का सुनिश्चित करना" मानद दिशा-निर्देश में उपयुक्त संशोधनों का ध्यान देना चाहिए।
- (b) उपरोक्त आदेश की प्रारंभिक कड़ी के अनुसार, रिपोर्टिंग एंटिटीज़ (REs) को सुनिश्चित करना चाहिए कि यदि व्यक्ति/संस्था के विवरण निर्दिष्ट सूची में किसी के विवरणों के साथ मिलते हैं, तो लेनदेन को किसी भी स्थिति में नहीं किया जाए।

(c) इसके अतिरिक्त, REs को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्दिष्ट सूची में व्यक्तियों और संस्थाओं के पास क्या कोई धन, वित्तीय संपत्ति, आदि है, जैसे कि बैंक खाते आदि के रूप में, ग्राहक के साथ संबंध स्थापित करने के समय और नियमित अंतराल पर जाँच चलाई जानी चाहिए।

(d) उपरोक्त मामलों में मिलने के मामले में, REs को तुरंत लेनदेन के विवरण को पूरे धन, वित्तीय संपत्ति या आर्थिक संसाधनों के संपूर्ण विवरण के साथ केंद्रीय नोडल अधिकारी (CNO) को सूचित करना चाहिए, जिसे धारा 12A के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए निर्धारित किया गया है विस्फोटक हथियार (WMD) अधिनियम, 2005 के तहत। संचार की प्रति राज्य नोडल अधिकारी को भेजा जाना चाहिए, जहां खाता/लेनदेन होता है, और RBI को। REs को FIU-IND के साथ एसटीआर फाइल करनी चाहिए, जिसमें उपरोक्त खातों में सभी लेनदेन शामिल हों, जो या जिनका प्रयास किया गया है।

सूचना के पैराग्राफ 1 के अनुसार, भारतीय वित्तीय इंटेलिजेंस इकाई के निदेशक को केंद्रीय नोडल अधिकारी (CNO) के रूप में निर्धारित किया गया है।

(e) REs को समय-समय पर संशोधित किया गया निर्दिष्ट सूची का संदर्भ देना चाहिए, जो FIU-India के पोर्टल पर उपलब्ध होती है।

(f) यदि संदेह से परे यह मानने के कारण हैं कि ग्राहक द्वारा रखी गई धनराशि या संपत्ति डब्ल्यूएमडी अधिनियम, 2005 की धारा 12A की उप - धारा (2) के खंड (a) या (b) के दायरे में आएगी, तो REs ऐसे व्यक्ति/इकाई को बिना किसी देरी के ईमेल, फैक्स और डाक द्वारा सीएनओ को सूचना के तहत वित्तीय लेनदेन करने से रोकेंगे।

(g) यदि REs को सीएनओ द्वारा धारा 12A के तहत संपत्तियों को जमा करने का आदेश प्राप्त हो, तो REs को तत्काल उस आदेश का पालन करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए।

(h) धन आदि को अनफ्रीज़ करने की प्रक्रिया को आदेश के पैराग्राफ 7 के अनुसार पालन किया जाएगा। इस प्रकार, जोड़े गए धन की पूर्ण जानकारी के साथ कंपनी द्वारा एक व्यक्ति/संस्था से मिले आवेदन की प्रति, जैसा कि आवेदक द्वारा दी गई है, की प्रति कंपनी द्वारा CNO को ईमेल, फैक्स और चिट्ठी के माध्यम से, दो कार्य दिवसों के भीतर फॉर्वर्ड की जाएगी।

(i) REs को प्रत्येक दिन 'संयुक्त राष्ट्र संरक्षण परिषद् निर्दिष्ट व्यक्तियों और संस्थाओं की UNSCR 1718 सूची' की सत्यापन करनी चाहिए, जैसा कि <https://www.mea.gov.in/Implementation-of-UNSC-Sanctions-DPRK.htm> पर उपलब्ध है, ताकि सूची में किसी भी प्रकार के जोड़ों, हटावों या अन्य परिवर्तनों का ध्यान रखा जा सके, और साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र संरक्षण परिषद् निर्णय के '2017 में लोकतांत्रिक जनता के गणराज्य के लिए संरक्षण परिषद् निर्णय के कार्यान्वयन' का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, जो केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित किया जाता है।

48. उपरोक्त के अतिरिक्त, REs को ध्यान में रखना चाहिए - (a) अन्य UNSCRs और (b) यूएपीए, 1967 की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में उन्हीं के संशोधनों के साथ, यूएपीए की धारा 51A के कार्यान्वयन और विस्फोटक हथियार (WMD) अधिनियम के धारा 12A के लागू होने पर सरकारी आदेशों का पालन के लिए। किसी भी सूची में व्यक्तियों/संस्थाओं के समानता दिखाने वाले ऋण खातों का विवरण FIU-IND को रिपोर्ट किया जाना चाहिए, जो यूएपीए सूचना के मार्च 14, 2019/फरवरी 2, 2021 के तारीख और समय-समय पर संशोधित किया गया हो, और जैसा कि योग्य माना जाए।

उपरोक्त के अतिरिक्त, समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा किसी अन्य क्षेत्र/संस्थाओं के संबंध में प्रसारित अन्य UNSCRs को भी ध्यान में लिया जाना चाहिए।

49. अवैध गतिविधियों (निवारण) अधिनियम, 1967 के धारा 51A के अनुरूप ऋण खाते का फ्रीज़ करना

यूएपीए के तहत सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किया जाएगा और जहां तक लागू हो, उसका सावधानीपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

विशेष रूप से, कंपनी निम्नलिखित के लिए आवश्यक लागू दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी:

(i) इलेक्ट्रॉनिक रूप में अद्यतित निर्धारित सूचियों को बनाए रखें और नियमित आधार पर दिए गए पैरामीटरों पर चेक करें ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि क्या आदेश के सूची के अनुसार निर्धारित व्यक्तियों या संस्थान किसी भी धन, वित्तीय संपत्ति या आर्थिक संसाधन या इससे संबंधित सेवाएँ, जैसे कि बैंक खातों, स्टॉक या इन्श्योरेंस पॉलिसियों इत्यादि, के साथ धारित हैं।

(ii) यदि किसी ग्राहक की विवरण निर्धारित व्यक्तियों/संस्थानों के विवरणों से मेल खाते हैं, तो कंपनी को तत्काल, उस ग्राहक की खोज करने के समय से लेकर 24 घंटे के भीतर, पूरे विवरण को उनकी किताबों में ऐसे ग्राहक द्वारा धारित धन, वित्तीय संपत्तियों या आर्थिक संसाधनों या संबंधित सेवाओं के बारे में गृह मंत्रालय के संयुक्त महाप्रशासक (सीटीसीआर), को फैक्स नंबर: 011-23092569 पर सूचित करना चाहिए और टेलीफोन या 011-23092736 पर भी संचार करना चाहिए। इन विवरणों को डाक द्वारा भेजने के अलावा, इसे अनिवार्य रूप से ई-मेल आईडी: jsctcr-mha@gov.in पर सूचित किया जाना चाहिए।

(iii) कंपनी को उसी वार्ता की प्रतिलिपि भेजनी चाहिए जो (ii) में उल्लिखित है, उसे राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में यूएपीए नोडल अधिकारी, परियोजनाकर्ता और FIU-IND को भेजना चाहिए, जैसा भी मामला हो।

(iv) यदि किसी ग्राहक का किसी निर्धारित व्यक्ति/संस्था के विवरणों के साथ मिलान संदिग्ध हो, तो कंपनी को निश्चित रूप से सूचित करना चाहिए कि निर्धारित व्यक्तियों को वित्तीय लेन-देन करने से रोका जाए, जिसकी सूचना अतिरिक्त सचिव (सीटीसीआर), उत्तर ब्लॉक, नई दिल्ली - 110001" या ईमेल jsctcr-mha@gov.in के माध्यम से गृह मंत्रालय के संयुक्त महाप्रशासक (सीटीसीआर), को भेजनी चाहिए।

(v) कंपनी को FIU-IND के साथ एक संदिग्ध लेन-देन रिपोर्ट (STR) दर्ज करनी चाहिए, जिसमें अनुचित रूप से शामिल किए गए खातों में संभावित सभी लेन-देन को शामिल किया गया हो, जैसा कि अनुचित रूप से निर्धारित किया गया है।

(vi) फ्रीज उचित रूप से लागू होगा। ऋण खातों के मामले में, कोई अधिक डेबिट अनुमति नहीं होगी। मौजूदा जमा के मामले में, धन फ्रीज किया जाएगा।

व्यक्तियों/संस्थाओं के धन, वित्तीय संपत्तियों, या आर्थिक संसाधनों या संबंधित सेवाओं को अनजाने में फ्रीज होने पर, फ्रीजिंग तंत्र के पुनः अनुभव अनफ्रीज करने की प्रक्रिया:

(a) किसी भी व्यक्ति या संस्था, अगर उनके पास सबूत है कि उनके स्वामित्व/होल्डिंग में मौजूद वित्तीय जमा या ऋण खाता अनजाने में फ्रीज हो गया है, तो वे आवश्यक सबूत के साथ एक लिखित रूप में आवेदन पेश करेंगे।

(b) यदि कंपनी को ऐसा आवेदन प्राप्त होता है, तो वह आवेदन की प्रति के साथ उस व्यक्ति या संस्था द्वारा दी गई जितनी भी संबंधित संपत्तियों की पूरी जानकारी के साथ, अनजाने में फ्रीज हो गए धन, वित्तीय संपत्तियों, या आर्थिक संसाधनों या संबंधित सेवाओं की जानकारी, गृह मंत्रालय के सीटीसीआर डिवीजन के नोडल ऑफिसर को दो कार्य दिवसों के भीतर सूचित करेगी और आवेदन की प्रति को उसके साथ अग्रेषित करेगी।

(c) संयुक्त सचिव (CTCR), गृह मंत्रालय के सीटीसीआर डिवीजन के लिए यूएपीए नोडल अधिकारी होने के नाते इस तरह के सत्यापन का कारण बनेंगे, जो व्यक्ति/इकाई द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर आवश्यक हो सकता है, और, यदि संतुष्ट हो, तो वह 15 कार्य दिवसों के भीतर एक आदेश पारित करेगा, कंपनी सहित अन्य पक्षों को सूचना के तहत ऐसे आवेदक के स्वामित्व/स्वामित्व वाली निधियों, वित्तीय परिसंपत्तियों या आर्थिक संसाधनों या संबंधित सेवाओं को अनफ्रीज करेगा। हालांकि, यदि किसी भी कारण से १५ कार्य दिवसों के भीतर परिसंपत्तियों को फ्रीज करने का आदेश पारित करना संभव नहीं है, तो सीटीसीआर डिवीजन के यूएपीए नोडल अधिकारी आवेदक को सूचित करेंगे।

50. एफएटीएफ रिकमेंडेशंस को पूरी तरह से या अपर्याप्त रूप से लागू न करने वाले क्षेत्राधिकार

(a) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय - समय पर परिचालित एफएटीएफ वक्तव्य, और उन देशों की पहचान करने के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी, जो एफएटीएफ सिफारिशों को लागू नहीं करते हैं या अपर्याप्त रूप से लागू नहीं करते हैं, पर विचार किया जाएगा। एफएटीएफ वक्तव्य में शामिल क्षेत्राधिकारों के एमएल/सीएफटी शासन में कमियों से उत्पन्न जोखिमों को ध्यान में रखा जाएगा।

(b) वहाँ के व्यक्तियों (सहित कानूनी व्यक्तियों और अन्य वित्तीय संस्थाओं) के साथ व्यावसायिक संबंध और लेन-देन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जो एफएटीएफ रिकॉर्डेशन को पूरी तरह से या अपर्याप्त रूप से लागू नहीं करते हैं और जिन क्षेत्राधिकारों को एफएटीएफ बयान में शामिल किया गया है।

स्पष्टीकरण: उपरोक्त प्रक्रिया से कंपनी को व्यापारिक और व्यवसायिक लेन-देन करने में उन देशों और क्षेत्राधिकारों के साथ अविश्वसनीय तरीके से नहीं रोकता है जिनका उल्लेख एफएटीएफ बयान में किया गया है।

(c) FATF बयानों में शामिल किए गए क्षेत्राधिकारों और उन देशों के व्यक्तियों (सहित कानूनी व्यक्तियों और अन्य वित्तीय संस्थाओं) के साथ लेन-देन के पिछले और उद्देश्य को जांचा जाएगा, और सभी दस्तावेजों के साथ लिखित निष्कर्ष तैयार किया जाएगा और उन्हें रिजर्व बैंक/अन्य प्रासंगिक प्राधिकारिक अधिकारियों को उपलब्ध किया जाएगा, यदि आवश्यक हो।

51. सीडीडी प्रक्रिया और केंद्रीय केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआर) के साथ केवाईसी जानकारी साझा करना

(a) भारत सरकार ने सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटीसेशन एसेट रिकन्स्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया (सीईआरएसएआई) को सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआर) के रूप में कार्रवाई करने और उसके कार्यों को निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया है, गजट अधिसूचना संख्या एस.ओ. 3183(ई) दिनांक 26 नवंबर, 2015 के अनुसार।

(b) पीएमएल नियमों के नियम 9(1A) के प्रावधान के अनुसार, आरई संबंधित ग्राहक की केवाईसी रिकॉर्ड को कैप्चर करेंगे और साझा करेंगे, जो केवाईसी रिकॉर्ड ग्राहक के साथ खाता-आधारित संबंध की शुरुआत के 10 दिनों के भीतर हो।

(c) सीरसीएआई द्वारा केवाईसी डेटा को अपलोड करने के लिए परिचालन दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

(d) आरई ग्राहक के लिए केवाईसी जानकारी को साझा करने के लिए योजित नियमों के अनुसार, 'व्यक्तियों' और 'कानूनी संस्थाओं' (एलई) के लिए तैयार की गई केवाईसी टेम्पलेट का उपयोग करेंगे। टेम्पलेट को समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है, जैसा कि सीरसीएआई द्वारा आवश्यक हो और जारी किया जाएगा।

(e) सीकेवाईसीआर की 'लाइव रन' 15 जुलाई, 2016 से फैज्ज मैनर में शुरू हुई, जिसमें नए 'व्यक्तिगत खाते' के साथ शुरू किया गया। इसके अनुसार, निर्धारित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को सीकेवाईसीआर के साथ सभी नए व्यक्तिगत खातों के संबंध में केवाईसी डेटा को अपलोड करना आवश्यक है, जो 1 जनवरी, 2017 को या इसके बाद खोले गए हैं। एससीबी को पहले तक 1 फरवरी, 2017 तक समय दिया गया था, जिससे जनवरी 2017 में खोले गए खातों के डेटा को अपलोड किया जाए। विधि के प्रावधानों के अनुसार, एससीबी के अलावा अन्य आरई को 1 अप्रैल, 2017 से खोले गए सभी नए व्यक्तिगत खातों के संबंध में सीकेवाईसीआर के साथ केवाईसी डेटा को अपलोड करने की आवश्यकता थी।

(f) आरई के अनुसार, 2021 के 1 अप्रैल को खोले गए कानूनी संस्थानों के खातों के संबंध में रिकॉर्ड्स को नियमों के प्रावधानों के अनुसार सीकेवाईसीआर के साथ अपलोड किया जाएगा। यह केवाईसी रिकॉर्ड्स सीरसीएआई द्वारा जारी की गई एलई टेम्पलेट के अनुसार अपलोड किए जाने चाहिए।

(g) जब CKYCR द्वारा केवाईसी पहचानकर्ता उत्पन्न किया जाता है, तो आरई सुनिश्चित करेगा कि वह उसे व्यक्ति/एलई को जैसा कि मामला हो, सूचित किया जाता है।

(h) सभी केवाईसी रिकॉर्ड को CKYCR पर लगातार अपलोड किया जाए, इसके लिए आरई को सुनिश्चित करना होगा कि अधिकारी उसे अपडेट करें, जो उपरोक्त अंशों में उल्लेखित तिथियों के पहले खोले गए व्यक्तिगत ग्राहकों और लीज़ के खातों के संबंध में केवाईसी डेटा को अपडेट करें।

(i) आरई सुनिश्चित करेगा कि नियमित अपडेट के दौरान ग्राहकों को वर्तमान सीडीडी मानक में स्थानांतरित किया जाए।

(j) जब एक ग्राहक, खाता-आधारित संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से, एक आरई को एक केवाईसी पहचानकर्ता प्रस्तुत करता है, जिसमें सीकेवाईसीआर से रिकॉर्ड डाउनलोड करने की व्याख्यात सहमति होती है, तो ऐसी कंपनी को केवाईसी रिकॉर्ड्स को CKYCR से ऑनलाइन डाउनलोड करना चाहिए केवाईसी पहचानकर्ता और ग्राहक को उसी केवाईसी रिकॉर्ड या जानकारी या कोई अतिरिक्त पहचान दस्तावेज़ या विवरण को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी, जब तक –

- i. CKYCR के रिकॉर्डों में ग्राहक की जानकारी में कोई परिवर्तन नहीं है;
- ii. ग्राहक का वर्तमान पता सत्यापित किया जाना आवश्यक है;
- iii. कंपनी को ग्राहक की पहचान या पता सत्यापित करने, अधिक देखभाली या ग्राहक का उचित जोखिम प्रोफाइल बनाने की आवश्यकता मानती है।
- iv. CKYCR से डाउनलोड किए गए दस्तावेज़ की मान्यता की अवधि समाप्त हो गई है।

अध्याय X अन्य निर्देशक

52. गोपनीयता दायित्व और जानकारी साझा करना:

- (a) कंपनी को ग्राहक जानकारी की गोपनीयता को बनाए रखना चाहिए जो कंपनी और ग्राहक के बीच संविदानिक संबंध से उत्पन्न होती है।
- (b) ऋण खात खोलने के उद्देश्य से ग्राहकों से एकत्रित जानकारी को गोपनीय माना जाएगा और उसका विवरण बिना ग्राहक की अभिव्यक्ति सहमति के क्रॉस सेलिंग के लिए या किसी अन्य उद्देश्य के लिए उजागर नहीं किया जाएगा।
- (c) सरकार और अन्य एजेंसियों से डेटा/जानकारी के अनुरोध को विचार करते समय, कंपनी को सुनिश्चित करना चाहिए कि वह जानकारी ऐसी नहीं है जो कंपनी के लैन-देन के लिए गोपनीयता के विधानों का उल्लंघन करेगी।
- (d) उक्त नियम के अपवाद निम्नलिखित होंगे:
 - i. जब कानून के दबाव के तहत खुलासा हो
 - ii. जब सार्वजनिक को खुलासा करने का कर्तव्य हो,
 - iii. कंपनी के हित को खुलासा करने की आवश्यकता हो, और
 - iv. जब ग्राहक की स्पष्ट या अन्यथा सहमति के साथ खुलासा किया जाता है।

- (e) एनबीएफसी आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 45एनबी में प्रदत्त जानकारी की गोपनीयता बनाए रखेंगे।

53. सीडीडी प्रक्रिया और केंद्रीय केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआर) के साथ केवाईसी जानकारी साझा करना

कंपनी को केवाईसीआर के साथ जानकारी साझा करने के लिए केवाईसी नमूनों के लिए तैयार की गई संशोधित केवाईसी नमूनों के लिए नियमों में उल्लिखित प्रकार से केवाईसी जानकारी को कैप्चर करना होगा, जैसा कि लागू हो सकता है। भारत सरकार ने सुरक्षितीकरण संपत्ति पुनर्गठन और सुरक्षा हित के केंद्रीय रजिस्ट्री (सीईआरएसएआई) को सीकेवाईसीआर के रूप में कार्य करने और कार्य करने के लिए अधिकार प्रदान किया है गजेट अधिसूचना संख्या एस.ओ. 3183(ई) दिनांक 26 नवंबर, 2015 को। कंपनी को कानून के तहत आवश्यक सभी आवश्यक कदम उठाने होंगे।

नियम 9(1A) के प्रावधान के अनुसार, कंपनी को ग्राहक की खाता-आधारित संबंध की शुरुआत के 10 दिनों के भीतर ग्राहक की केवाईसी रिकॉर्ड को एकत्रित करना और सीकेवाईसीआर पर अपलोड करना चाहिए।

कंपनी को सुनिश्चित करना चाहिए कि नियमित अपडेशन के दौरान ग्राहकों को वर्तमान सीडीडी मानक पर स्थानांतरित किया जाए।

जब ग्राहक, खाता-आधारित संबंध स्थापित करने के उद्देश्यों के लिए, एक केवाईसी पहचानकर्ता कंपनी को प्रस्तुत करता है, और CKYCR से रिकॉर्ड डाउनलोड करने की स्पष्ट सहमति के साथ, तो कंपनी को KYC पहचानकर्ता का उपयोग करके ऑनलाइन CKYCR से KYC रिकॉर्ड पुनः प्राप्त करना चाहिए, और ग्राहक को एक ही KYC रिकॉर्ड या जानकारी या किसी अन्य अतिरिक्त पहचान दस्तावेज़ या विवरण को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी, जब तक –

- (i) CKYCR के रिकॉर्ड में मौजूद ग्राहक की जानकारी में कोई परिवर्तन न हो;
- (ii) ग्राहक का वर्तमान पता सत्यापित करने की आवश्यकता हो;

(iii) कंपनी को ग्राहक की पहचान या पता सत्यापित करने, या वृद्धि विशेषता समीक्षा करने, या ग्राहक का उचित जोखिम प्रोफ़ाइल बनाने के लिए आवश्यक मानता है।

(iv) महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम जो वरिष्ठ प्रबंधन पद में हैं; और

(v) पंजीकृत कार्यालय और उसके व्यावसायिक स्थान का मुख्यालय, यदि यह अलग है।

54. विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (एफएटीसीए) और सामान्य रिपोर्टिंग मानकों (सीआरएस) के तहत रिपोर्टिंग की आवश्यकता

FATCA और CRS के अंतर्गत, कंपनी को आयकर नियम 114F, 114G और 114H के प्रावधानों का पालन करना होगा और यह निर्धारित करेगी कि क्या वह आयकर नियम 114F में परिभाषित रिपोर्टिंग फाइनेशियल इंस्टीट्यूशन है और यदि हाँ, तो रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का पालन करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाएंगी:

(a) आयकर विभाग के संबंधित ई-फिलिंग पोर्टल पर रिपोर्टिंग फाइनेशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में पंजीकरण करें, जिसका लिंक है <https://incometaxindiaefiling.gov.in/> पोस्ट लॉगिन --> मेरा खाता --> रिपोर्टिंग फाइनेशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में पंजीकरण करें।

(b) 'नियुक्त निदेशक' के डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करके ऑनलाइन रिपोर्ट सबमिट करें, जिसमें या फॉर्म 61B अपलोड किया जाता है या 'निल' रिपोर्ट, जिसके लिए, केंद्रीय कर बोर्ड ऑफ़ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) द्वारा तैयार किया गया स्कीम संदर्भित किया जाएगा।

कंपनी को नियम 114H के माध्यम से सूचनीय खातों की पहचान के उद्देश्यों के लिए योग्यता प्रक्रिया कार्यान्वित करने के लिए भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर्स संघ (एफईडीएआई) द्वारा प्रकाशित स्थानिक संदर्भ दरों का उनकी वेबसाइट पर दिए गए <http://www.fedai.org.in/RevaluationRates.aspx> पर संदर्भ किया जाना चाहिए।

(c) नियम 114H में प्रावधानित प्रक्रिया के लिए और उसे कार्यान्वित करने और रिकॉर्ड और उसका पालन करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) ढांचा विकसित करें।

(d) आईटी ढांचा की ऑडिट के लिए एक प्रणाली विकसित करें और आयकर नियम 114F, 114G और 114H का पालन सुनिश्चित करें।

(e) पालना सुनिश्चित करने के लिए "उच्च स्तरीय मॉनिटरिंग समिति" या डिज़ाइनेटेड निदेशक या किसी अन्य समकक्ष कार्यकारी अधिकारी के तहत एक "रिस्क समिति" का गठन करें।

(f) समय-समय पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा विषय पर जारी किए गए अपडेटेड निर्देश/ नियम/ मार्गदर्शिका नोट/ प्रेस विज्ञप्तियों का पालन सुनिश्चित करें और वेबसाइट <http://www.incometaxindia.gov.in/Pages/default.aspx> पर उपलब्ध हों। कंपनी निम्नलिखित का ध्यान रख सकती है:

i. FATCA और CRS पर अपडेटेड मार्गदर्शिका नोट

ii. नियम 114H (8) के अंतर्गत 'वित्तीय खातों का बंद होना' पर एक प्रेस विज्ञप्ति।

55. भुगतान इंस्ट्रुमेंट्स पेश करने की अवधि

चेक/ड्राफ्ट/पे ऑर्डर/बैंकर्स चेक का भुगतान नहीं किया जाएगा अगर उन्हें इन्हें बनाए जाने की तारीख से तीन महीने के बाद पेश किया जाता है।

56. खातों और मनी म्यूल्स का संचालन

खाता खोलने और लेन - देन की निगरानी के निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा, ताकि "मनी म्यूल्स" के संचालन को कम किया जा सके, जिसका उपयोग धोखाधड़ी योजनाओं (जैसे, फ़िशिंग और पहचान की चोरी) की आय को वैध बनाने के लिए किया जाता है, उन अपराधियों द्वारा जो तीसरे पक्ष की भर्ती करके जमा खातों तक अवैध पहुंच प्राप्त करते हैं, जो "मनी म्यूल्स"

के रूप में कार्य करते हैं, जितना कि कंपनी के रूप में एचएफसी के रूप में संबंधित है। अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक और लागू सभी प्रासंगिक सावधानियां बरती जानी चाहिए।

57. खाता प्राप्तकर्ता चेक का कलेक्शन

लोन खातों के लिए, भुगतान संरक्षित चेक केवल भुगतान प्राप्तकर्ता के अलावा किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं इकट्ठे किए जाएंगे। कंपनी को, उनकी पसंद के अनुसार, जो किस्तियाँ पाँच पचास हजार रुपये तक के हो, उन ग्राहकों के खाते में जमा होने वाले बातचीत के भुगतान संरक्षित चेक इकट्ठा किए जा सकते हैं जो सहकारी क्रेडिट समितियों के सदस्य होते हैं, परंतु ऐसे चेकों के भुगतान करने वाले व्यक्तियों को ऐसी सहकारी क्रेडिट समितियों के सदस्य होना चाहिए।

58. एक अद्वितीय ग्राहक पहचान कोड (UCIC) कंपनी और एनबीएफसी द्वारा नए रिश्तों में व्यक्तिगत ग्राहकों के साथ दर्ज करते समय, और मौजूदा ग्राहकों के साथ भी आवंटित किया जाएगा।

59. HFC के रूप में लागू सीमा तक ऋण खातों से संबंधित नई प्रौद्योगिकियों का परिचय

नई या विकसित हो रही प्रौद्योगिकियों से उत्पन्न हो सकने वाले किसी भी मनी - लॉन्चिंग और आतंकवाद के लिए वित्त प्रायोजनों पर ध्यान दिया जाएगा, और कंपनी के रूप में HFC के संदर्भ में सुनिश्चित किया जाएगा कि नए उत्पाद/सेवाओं/प्रौद्योगिकियों की शुरुआत करने से पहले समय-समय पर जारी होने वाली उपयुक्त KYC प्रक्रियाएँ यथासम्भव रूप से लागू की जाएं।

60. वायर ट्रांसफर

A. इस मास्टर दिशा के उद्देश्य के लिए वायर ट्रांसफर के लिए जानकारी की आवश्यकताएँ:

i. सभी क्रॉस - बॉर्डर वायर ट्रांसफर के साथ स्टीक, पूर्ण और सार्थक प्रवर्तक और लाभार्थी की जानकारी होनी चाहिए, जैसा कि नीचे बताया गया है:

- मूल्यांकन का नाम;
- मूल्यांकन खाता नंबर जहां ऐसा खाता लेन-देन प्रक्रिया के लिए उपयोग किया जाता है।
- मूल्यांकन का पता, या राष्ट्रीय पहचान संख्या, या ग्राहक पहचान संख्या, या जन्म की तारीख और स्थान;
- प्राप्तकर्ता का नाम; और
- प्राप्तकर्ता का खाता संख्या जहां ऐसा खाता लेन-देन प्रक्रिया के लिए उपयोग किया जाता है।

खाता की अनुपस्थिति में, लेन-देन की ट्रेसेबिलिटी की अनुमति देने वाला एक अद्वितीय लेन-देन संदर्भ संख्या शामिल की जानी चाहिए।

ii. बैच ट्रांसफर के मामले में, जहां एक ही प्रवर्तक से कई व्यक्तिगत क्रॉस - बॉर्डर वायर ट्रांसफर लाभार्थियों को ट्रांसमिशन के लिए एक बैच फ़ाइल में बंडल किए जाते हैं, उन्हें (यानी, व्यक्तिगत ट्रांसफर) मूलकर्ता की जानकारी के संबंध में उपरोक्त खंड (i) की आवश्यकताओं से छूट दी जाती है, बशर्ते कि उनमें मूलकर्ता का खाता संख्या या अद्वितीय लेनदेन संदर्भ संख्या शामिल हो, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, और बैच फ़ाइल में आवश्यक और स्टीक मूलकर्ता जानकारी और पूर्ण लाभार्थी जानकारी शामिल है, जो लाभार्थी देश के भीतर पूरी तरह से पता लगाने योग्य है।

iii. घरेलू वायर ट्रांसफर, तार लेन-देन, जहां मूलधारक आर्डरिंग आरई का खाताधारक हो, को मूलधारक और प्राप्तकर्ता की सूचना के साथ प्रेषित किया जाना चाहिए, जैसा कि उपरोक्त (i) और (ii) में अंतर-राष्ट्रीय तार लेन-देन के लिए दिखाया गया है।

iv. पचास हजार रुपए और उससे अधिक की घरेलू तार लेन-देन, जहां मूलधारक आर्डरिंग आरई का खाताधारक नहीं है, को भी अंतर-राष्ट्रीय तार लेन-देन के लिए निर्दिष्ट मूलधारक और प्राप्तकर्ता सूचना के साथ प्रेषित किया जाना चाहिए।

v. REs को समायोजित क्रानूनी प्रावधानों के साथ ऐसे अनुरोध प्राप्त होने पर तुरंत सभी तार लेन-देन की सूचनाएँ उचित कानूनी प्रावधानों के साथ उपयुक्त क्रानूनी अधिकारियों और/या दंडात्मक प्राधिकरणों और वित्त जानकारी संग्रहक (एफआईयू-इंडिया) को तुरंत उपलब्ध करायी जायगी।

vi. वायर ट्रांसफर निर्देश निम्नलिखित प्रकार के भुगतानों को कवर करने के लिए नहीं हैं:

a. कोई भी ट्रांसफर जो क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड / प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रुमेंट (पीपीआई) का उपयोग करके किए गए लेनदेन से प्रवाहित है, जिसमें कार्ड / पीपीआई से जुड़े टोकन या किसी अन्य समान संदर्भ स्ट्रिंग के माध्यम से, सामान या सेवाओं की खरीद के लिए, जब तक कि क्रेडिट या डेबिट कार्ड नंबर या पीपीआई आईडी या संदर्भ संख्या लेनदेन से बहने वाले सभी ट्रांसफर के साथ होती है। हालांकि, जब क्रेडिट या डेबिट कार्ड या पीपीआई का उपयोग व्यक्ति - से - व्यक्ति वायर ट्रांसफर को प्रभावी करने के लिए भुगतान प्रणाली के रूप में किया जाता है, तो वायर ट्रांसफर निर्देश ऐसे लेनदेन पर लागू होंगे और आवश्यक जानकारी संदेश में शामिल की जानी चाहिए।

b. वित्तीय संस्थान-से-वित्तीय संस्थान की ट्रांसफर और समझौते, जहां प्रारंभ करनेवाला व्यक्ति और लाभार्थी व्यक्ति अपने खुद के लिए कार्रवाई करनेवाले विनियमित वित्तीय संस्थान हैं।

हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि इन निर्देशों के अंतर्गत कुछ भी ऐसा नहीं है जो कंपनी के लिए पीएमएल अधिनियम, 2002, के तहत लागू रिपोर्टिंग आवश्यकताओं और उसके तहत बनाए गए नियमों, या लागू किसी अन्य वैधानिक आवश्यकता का पालन करने के लिए कंपनी के दायित्व को प्रभावित नहीं करेगा।

सीडीडी. वायर ट्रांसफर को प्रभावित करने वाली कंपनी की जिम्मेदारियां निम्नानुसार हैं:

a. कंपनी को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी सीमा-संवाहित और योग्य घरेलू तार अनुप्रेषण (जैसा कि पैराग्राफ 'ए' की शर्त (iii) और (iv) में उल्लिखित सौदों) में आवश्यक और सटीक प्रारंभक जानकारी और आवश्यक लाभार्थी जानकारी, जैसा कि ऊपर उल्लिखित है, हो।

b. यदि कोई ग्राहक, जो कंपनी का खाताधारक नहीं है, जानबूझकर रूपये पचास हजार से कम की घरेलू तार अनुप्रेषण कर रहा है ताकि प्रतिवेदन या मॉनिटरिंग से बचा जा सके, तो उसकी ग्राहक पहचान की जाएगी। ग्राहक की गैर-सहयोगिता के मामले में, पहचान स्थापित करने के प्रयास किए जाएंगे और यदि वही सौदा संदेहपूर्ण पाया जाता है, तो FIU-IND के साथ PML नियमों के अनुसार STR दाखिल की जा सकती है।

c. कृपया ध्यान दें कि इस धारा में स्थिपित आवश्यकताओं का पालन न कर पाने पर कंपनी वायर ट्रांसफर को निष्पादित नहीं करेगी।

iv. मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम (एमटीएसएस) प्रदाताओं को सीधे सेवाएँ प्रदान कर रहे हों या अपने एजेंट्स के माध्यम से, इस खंड की सभी प्रासंगिक आवश्यकताओं का पालन करना अनिवार्य है। एक एमटीएसएस प्रदाता जो तार के आदेश और प्राप्ति पक्ष को दोनों नियंत्रित करता है, उसे निम्नलिखित को ध्यान में रखना चाहिए:

a. क्या एक ट्रांजेक्शन संदेहजनक साबित होता है का निर्धारण करने के लिए, आदेश और प्राप्ति पक्षों से आवश्यक सभी जानकारी को ध्यान में लेना चाहिए; और

b. एक ट्रांजेक्शन संदेहजनक पाया जाता है, तो PML नियमों के अनुसार FIU के साथ STR फाइल करेगा।

D. अन्य दायित्व

वायर ट्रांसफर की प्रक्रिया में अनियंत्रित संस्थाओं के साथ कंपनी के संबंध या भागीदारी के लिए दायित्व

कंपनी को इन निर्देशों के तहत उनके दायित्वों का संज्ञान लेगी और वायर ट्रांसफर की प्रक्रिया में किसी भी अनियंत्रित संस्थाओं के संलग्न होने के संदर्भ में सख्त अनुपालन सुनिश्चित करेगी। अधिक विशेष रूप से, जब भी वायर ट्रांसफर की प्रक्रिया में किसी भी अनियंत्रित संस्थाओं का संलग्नता हो, तो संबंधित कंपनी को सूचना, रिपोर्टिंग और अन्य आवश्यकताओं के लिए पूरी जिम्मेदारी होगी और इसलिए सुनिश्चित करेगी कि,

- i. इन निर्देशों के अनुसार अनियंत्रित संस्थाओं के माध्यम से पूर्ण वायर ट्रांसफर सूचना का निर्बाध प्रवाह हो;
- ii. कंपनी द्वारा ऐसे अनियंत्रित संस्थाओं के साथ किसी भी समझौते / व्यवस्था के अंतर्गत, वायर ट्रांसफर निर्देशों के अधीन कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जाता है।
- iii. अनियंत्रित संस्थाओं के साथ किसी ऐसे समझौते / व्यवस्था में समाप्ति धारा उपलब्ध है, यदि कोई हो, ताकि मामले में अनियंत्रित संस्थाएं वायर सूचना आवश्यकताओं का समर्थन नहीं कर पाती हैं, तो समझौता / व्यवस्था को समाप्त किया जा सके। ऐसे संस्थाओं के साथ मौजूदा समझौतों / व्यवस्थाओं की समीक्षा तीन महीने के भीतर की जाएगी, ताकि उपरोक्त आवश्यकताओं की सुनिश्चितता हो।

iii. रिकॉर्ड प्रबंधन आवश्यकताओं को पूरा करने की कंपनी की जिम्मेदारी

वायर ट्रांसफर में संलग्न कंपनी द्वारा मूल संचालक और लाभार्थी संबंधित जानकारी को मास्टर निर्देश के धारा 46 के अनुसार बनाए रखा जाएगा।

60. मांग ड्राफ्ट, आदि का जारी और भुगतान

डिमांड ड्राफ्ट, मेल/दूरसंचार ट्रांसफर/NEFT/IMPS या किसी अन्य तरीके से धन की रेमिटेंस, और रूपये पचास हजार और इससे अधिक की मूल्यवान यात्री ग्राहक के खाते को डेबिट करके या या चेक के खिलाफ और नकद भुगतान के बजाय चेक जारी करने का अनुरोध किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, खरीददार का नाम मांग ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, बैंकर्स चेक, आदि के फेस पर जारी करना चाहिए। ये निर्देश सितंबर 15, 2018 को जारी किए गए ऐसे इंस्ट्रुमेंट्स के लिए प्रभावी होंगे।

61. पैन का उद्धरण

ग्राहकों का स्थायी खाता संख्या (पैन) या इसके समकक्ष ई-दस्तावेज को आयकर विधेयक नियम 114बी के प्रावधानों के अनुसार प्राप्त और सत्यापित किया जाएगा, जैसा कि कंपनी को समय-समय पर संशोधित किया जाता है। जिन व्यक्तियों के पास पैन या उसके समकक्ष ई-दस्तावेज नहीं हैं, उनसे फॉर्म 60 प्राप्त किया जाएगा।

62. तीसरी पक्ष के उत्पादों की बिक्री-

कंपनी नियमों के अनुसार तीसरे पक्ष के उत्पादों की बिक्री करते समय एजेंट के रूप में, इस नीति के उद्देश्य के लिए निम्नलिखित पहलुओं का पालन करेगी:

- (a) चलने वाले ग्राहक की पहचान और पता इस नीति की आवश्यकताओं के अनुसार पचास हजार रूपये से अधिक के लेन-देन के लिए सत्यापित की जाएगी।
- (b) तीसरे पक्ष के उत्पादों की बिक्री के लेन-देन के विवरण और संबंधित रिकॉर्ड इस नीति की आवश्यकताओं के अनुसार बनाए रखे जाएंगे।
- (c) तीसरे पक्ष के उत्पादों से संबंधित लेन-देनों के लिए CTR/STR को फाइल करने के उद्देश्य से अलर्ट को दर्ज, उत्पन्न और विश्लेषित करने के लिए एमएल सॉफ्टवेयर, जिसमें चलने वाले ग्राहकों को भी शामिल किया गया है, उपलब्ध होना चाहिए।
- (d) पचास हजार रूपये और उससे अधिक के लेन-देन केवल निम्नलिखित द्वारा किए जाएंगे:
 - ग्राहकों के खाते से डेबिट करके या चेक के खिलाफ; और
 - ग्राहकों द्वारा दिए गए पैन को प्राप्त और सत्यापित करके।
- (e) 'd' में ऊपर दिए गए निर्देश को कंपनी के अपने उत्पादों की बिक्री, क्रेडिट कार्ड के योगदान/प्रीपेड/यात्रा कार्ड की बिक्री और पुनः लोडिंग, और पचास हजार रूपये और उससे अधिक के किसी अन्य उत्पाद के लिए भी लागू किया जाएगा।

कर्मचारियों की भर्ती और कर्मचारी प्रशिक्षण

- a. कर्मचारी भर्ती / नियोजन प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा के रूप में उनकी पर्सनल भर्ती / नियोजन प्रक्रिया के रूप में योग्य स्क्रीनिंग तंत्र, जिसमें अपने कर्मचारी / स्टाफ नीति शामिल हो, लागू किया जाएगा।
- b. REs को सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि KYC/AML/CFT मामलों के संबंध में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं / उनका नियोजन किया गया है, उनमें उच्च ईमानदारी और नैतिक मानक, मौजूदा KYC/AML/CFT मानकों का अच्छी समझ है। परिणामी संचार कौशल और मानवता, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर परिवर्तन के साथ KYC/AML/CFT विश्व के में समझ है। REs को यह भी प्रयास करना चाहिए कि वे ऐसा माहौल विकसित करें जो कर्मचारियों के बीच खुली संचार और उच्च अखंडता को प्रोत्साहित करता है।

(a) एएमएल / सीएफटी नीति में कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षित किया जाए ताकि प्रशिक्षण का मुख्य ध्यान मुख्यालय स्टाफ, अनुपालन स्टाफ और नए ग्राहकों के संबंधित कर्मचारियों के लिए अलग होगा। मुख्यालय के कर्मचारियों को ग्राहक शिक्षा की कमी से उत्पन्न समस्याओं का संबोधन करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा। एमएल / सीएफटी कंपनी की नीतियों, विनियमन और संबंधित मुद्दों में पर्याप्त और अच्छे रूप से प्रशिक्षित व्यक्तियों के साथ लेखा कार्य की उचित कर्मचारियों से नियुक्ति की गई स्टाफिंग की गारंटी होनी चाहिए।

64. ब्रोकरों/एजेंटों आदि सहित कंपनी द्वारा अधिकृत व्यक्तियों द्वारा अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) दिशानिर्देशों का पालन करना।

- (a) किसी भी राशि का वसूल करने के लिए अधिकृत व्यक्तियों और उनके दलाल/एजेंट या उसी प्रकार के व्यक्तियों को, NBFCs/RNBGs के लागू KYC दिशानिर्देशों के पूरी तरह से पालन करना चाहिए।
- (b) सभी जानकारी RBI को उनके KYC दिशानिर्देशों के पालन की जांच के लिए उपलब्ध कराई जाएगी और कंपनी द्वारा अधिकृत व्यक्तियों द्वारा किए गए किसी भी उल्लंघन के पूरी परिणामों को स्वीकार किया जाएगा, जो कि उनके ब्रोकर/एजेंट आदि हैं, और जो उनके पक्ष पर काम कर रहे हैं।
- (c) कंपनी द्वारा अधिकृत व्यक्तियों के लेखा पुस्तक, जिसमें उनके दलाल/एजेंट या उसी प्रकार के व्यक्तियों के ब्रोकरेज कार्य से संबंधित हों, किसी भी समय जांच और निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी।

अनुलग्नक | डिजिटल केवाईसी प्रक्रिया

A. कंपनी जितना संभव हो सके, डिजिटल केवाईसी सत्यापन प्रक्रिया के लिए एक एप्लिकेशन विकसित करेगी, जो ग्राहक स्पर्श बिंदुओं पर उनके ग्राहकों की केवाईसी करने के लिए उपलब्ध होगा और केवाईसी प्रक्रिया केवल इस कंपनी के प्रमाणित एप्लिकेशन के माध्यम से होगी, जितना संभव हो सके। कंपनी की बोर्ड द्वारा स्वीकृत क्रेडिट नीति के अनुसार सभी प्रकार के ग्राहकों से एकत्र किए गए केवाईसी दस्तावेजों को आरबीआई / एनएचबी द्वारा अधिसूचित और परिचालित नियामक प्रावधानों के अनुपालन के अधीन वैध और बाध्य माना जाएगा।

B. एप्लिकेशन का उपयोग कंपनी द्वारा नियंत्रित किया जाएगा, और सुनिश्चित किया जाएगा कि इसका अवैध उपयोग न हो। एप्लिकेशन का उपयोग केवल कंपनी द्वारा उनके अधिकृत अधिकारियों को दिए गए लॉगिन आईडी और पासवर्ड, या लाइव ओटीपी या समय ओटीपी नियंत्रित तंत्र के माध्यम से होगा।

C. केवाईसी के लिए, ग्राहक कंपनी के अधिकृत अधिकारी के स्थान पर या इसके विपरीत जाएगा। मूल ओवीडी ग्राहक के पास होगा।

D. कंपनी को सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकृत अधिकारी द्वारा ग्राहक की लाइव फोटोग्राफ ली जाए और वही फोटोग्राफ ग्राहक आवेदन पत्र (सीएएफ) में एम्बेड की जाए। इसके अतिरिक्त, कंपनी की सिस्टम एप्लिकेशन को ग्राहक की लाइव फोटोग्राफ पर पढ़ने योग्य रूप में जलीय धारा, सीएएफ नंबर, जीपीएस संयोजन, अधिकृत अधिकारी का नाम, अद्वितीय कर्मचारी कोड (कंपनी द्वारा सौंपा गया), और तिथि (दिन: माह: वर्ष) और समय टाइम स्टैप (घंटा: मिनट: सेकंड) को फोटोग्राफ पर डाल देगा।

E. कंपनी की एप्लिकेशन में यह सुविधा होगी कि केवल ग्राहक की लाइव फोटोग्राफ को कैचर किया जाए और कोई प्रिंटेड या वीडियो फोटोग्राफ को कैचर नहीं किया जाए। ग्राहक की लाइव फोटोग्राफ को कैचर करते समय ग्राहक के पीछे का बैकग्राउंड सफेद रंग का होना चाहिए और किसी अन्य व्यक्ति को फ्रेम में नहीं आने दिया जाएगा।

F. उसी तरह, मूल ओवीडी की या आधार के स्वामित्व के प्रमाण की जीवंत तस्वीर (जहां ऑफलाइन सत्यापन नहीं किया जा सकता है), ऊपर से वर्टिकल रूप से कैचर किया जाएगा और उपरोक्त में उल्लिखित वॉटरमार्किंग की जाएगी। मोबाइल डिवाइस को लाइव दस्तावेजों की तस्वीर कैचर करते समय किसी भी घास के बिन्ह या झुकाव का होना नहीं चाहिए।

G. ग्राहक और उसके मूल दस्तावेजों का लाइव फोटोग्राफ सही प्रकार से प्रकाश में कैचर किया जाएगा ताकि वे स्पष्ट रूप से पढ़े जा सकें और पहचाने जा सकें।

H. इसके बाद, सभी CAF में ग्राहक द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेज़ और जानकारी के अनुसार सभी एंट्री भरी जाएंगी। उन दस्तावेजों में जहां किक रिस्पॉन्स (QR) कोड उपलब्ध है, ऐसा विवरण QR कोड को स्कैन करके मैन्युअल विवरण भरने के बजाय स्वचालित रूप से भरा जा सकता है। उदाहरण के लिए, जब यूआईडीएआई से डाउनलोड किए गए शारीरिक आधार / ई-आधार में QR कोड उपलब्ध होता है, तो आधार / ई-आधार पर उपलब्ध QR कोड को स्कैन करके नाम, लिंग, जन्म तिथि और पता जैसे विवरण स्वचालित रूप से भरा जा सकता है।

I. उपर्युक्त प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद, ग्राहक के अपने मोबाइल नंबर पर "कृपया ओटीपी साझा करने से पहले फॉर्म में भरे गए विवरणों की पुष्टि करें" टेक्स्ट संदेश सहित एक वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) मैसेज भेजा जाएगा। ओटीपी की सफल पुष्टि के बाद, इसे समझा जाएगा कि ग्राहक के द्वारा अभिलेख पर हस्ताक्षर किया गया है। हालांकि, यदि ग्राहक के पास उसका अपना मोबाइल नंबर नहीं है, तो उसके परिवार / रिश्तेदार / जाने-माने व्यक्तियों का मोबाइल नंबर इस उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जा सकता है और फॉर्म में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। किसी भी स्थिति में, कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि ग्राहक हस्ताक्षर में उपयोग किए जाने वाले मोबाइल नंबर कंपनी के पंजीकृत अधिकारी का मोबाइल नंबर नहीं है।

J. अधिकृत अधिकारी को ग्राहक की लाइव फोटोग्राफ और मूल दस्तावेज के कैचरिंग के बारे में एक घोषणा प्रदान की जाएगी। इसके लिए, अधिकृत अधिकारी को कंपनी के साथ पंजीकृत उसके मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड (OTP) से सत्यापित किया जाएगा। सफल OTP सत्यापन के बाद, इसे घोषणा पर अधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर माना जाएगा। इस अधिकारी के घोषणा में भी अधिकृत अधिकारी की लाइव फोटोग्राफ कैचर की जाएगी।

K. इन सभी गतिविधियों के पश्चात, एप्लिकेशन प्रक्रिया के समाप्त होने के साथ, कंपनी के सक्रियण अधिकारी को सक्रियण अनुरोध की सूचना और प्रक्रिया के लिए लेन-देन आईडी / संदर्भ-आईडी संख्या देगा। अधिकृत अधिकारी को ग्राहक को भविष्य के संदर्भ के लिए लेन-देन आईडी / संदर्भ-आईडी संख्या के बारे में जानकारी देनी चाहिए।

L. कंपनी के अधिकृत अधिकारी को जांच करनी चाहिए और सत्यापित करना चाहिए कि: - (i) दस्तावेज की तस्वीर में उपलब्ध जानकारी अधिकृत अधिकारी द्वारा CAF में दर्ज की गई जानकारी के साथ मेल खाती है। (ii) ग्राहक की लाइव फोटोग्राफ दस्तावेज में उपलब्ध फोटो के साथ मेल खाती है; और (iii) CAF में सभी आवश्यक विवरण, जिसमें अनिवार्य क्षेत्र शामिल हैं, सही ढंग से भरे गए हैं।

M. सफल सत्यापन के बाद, CAF को कंपनी के एक अधिकृत अधिकारी द्वारा डिजिटल प्रमाणित किया जाएगा, जो CAF का प्रिंट लेगा, ग्राहक के उचित स्थान पर हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान करवाएगा, फिर इसे स्कैन करेगा और उसे सिस्टम में अपलोड करेगा। मूल कड़ी कॉपी को ग्राहक को वापस किया जा सकता है।

अनुलग्नक !!

कम जोखिम वर्ग ग्राहकों के लिए विचार किए जा सकने वाले अतिरिक्त केवाईसी दस्तावेजों की सूची:

यह एक सांकेतिक सूची है जिसमें कम जोखिम वर्ग के ग्राहकों से प्राप्त किए जा सकने वाले दस्तावेजों की सूची है। अधिक मार्गदर्शन के लिए कृपया इस नीति के संबंधित खंडों और क्रेडिट नीति का संदर्भ लें।

II.I व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए केवाईसी दस्तावेज़:

क्र. सं.	वे डॉक्यूमेंट जिन्हें मंजूर किया जा सकता है	पहचान	निवास पता	हस्ताक्षर	जन्मतिथि
1	पैन कार्ड	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
2	आधार यूआईडी कार्ड	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ
3	मतदाता पहचान पत्र	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ
4	ड्राइविंग लाइसेंस	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ
5	वैध पासपोर्ट	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
6	राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार विभागों, विधिक या नियामक प्राधिकरणों, सार्वजनिक क्षेत्र की निगमों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी पहचान पत्र जिसमें आवेदक की फोटो हो।	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ
7	नरेगा/सरकार द्वारा जारी जॉब कार्ड एजेंसी/ अंडरटेकिंग	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ
8	गैजेटेड अधिकारी द्वारा जारी पत्र, जिसमें व्यक्ति की प्रमाणित फोटो हो।	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं
9	पहचान/ग्राहक की तस्वीर को सत्यापित करने वाले पहचानित सार्वजनिक प्राधिकरण या गैजेटेड अधिकारी के द्वारा जारी पत्र।	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं
10	बैंक खाता बयान की पहली पृष्ठ या बैंक पासबुक जिसमें फोटो और बैंक के मुहर की छवि हो।	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं
11	यूटिलिटी बिल (बिजली, लैंडलाइन टेलीफोन, पोस्टपेड मोबाइल, पाइप्ड गैस लाइन, पानी) जो 2 महीने से अधिक पुराना नहीं है।	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं
12	ग्राहक के नाम पर दर्ज की गई मूल / प्रमाणित बिक्री पत्र / अनुबंध जो नियम / प्रक्रिया के अनुसार संबंधित हो। यदि स्वीकार्य OVD दस्तावेज के रूप में साबित पता वर्तमान पते से भिन्न है, तो ऐसे OVD पते की मूल में सत्यापन किया जाना चाहिए और FI/सत्यापन का प्रयास किया जाना चाहिए। वर्तमान पते के प्रमाण के लिए, ग्राहक रेंट अनुबंध / छट्टी और लाइसेंस अनुबंध या एक स्व-घोषणा की प्रति जमा कर सकता है और ऐसा वर्तमान पता FI एजेंसी / कंपनी / शाखा अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत यात्रा के माध्यम से सत्यापित किया जाना चाहिए।	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं
13	संपत्ति या नगरपालिका कर रसीद;	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं
14	राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार विभागों, विधिक या नियामक प्राधिकरणों, सार्वजनिक क्षेत्र की निगमों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जारी करार प्रतिपादन की पत्रिका या उनके द्वारा आधिकारिक आवास प्रदान करने वाली लीव एंड लाइसेंस अनुबंध।	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं
15	सरकारी विभागों या सार्वजनिक क्षेत्र की निगमों द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जारी पेंशन या परिवार पेंशन भुगतान आदेश, यदि वे पता शामिल करते हैं।	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं

16	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी पत्र जिसमें नाम, पता और आधार संख्या के विवरण हों।	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं
17	जन्म प्रमाण पत्र (सरकारी एजेंसी)	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ
18	स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र (10वीं / 12वीं)	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ
19	उस बैंक से हस्ताक्षर सत्यापन प्रमाण पत्र जहां उधारकर्ता खाता चला रहा है	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं

II.II पते के प्रमाण के रूप में फर्म/कंपनी में प्राप्त किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची (कोई भी)

क्र. सं.	दस्तावेज़	फर्म	कंपनी
1	फर्म का नवीनतम बिजली या टेलीफोन बिल (2 महीने से अधिक पुराना नहीं)	हाँ	हाँ
2	व्यापार पंजीकरण प्रमाण पत्र, यदि कोई है (जीएसटी) सहित सरकार द्वारा जारी उद्यम पंजीकरण प्रमाण पत्र (यूआरसी)	हाँ	हाँ
3	राष्ट्रीयकृत / अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक का बैंक स्टेटमेंट	हाँ	हाँ
4	नवीनतम संशोधित साझेदारी पत्रक की प्रमाणित प्रतिलिपि	हाँ	नहीं
5	पैन कार्ड के आवंटन पत्र की प्रतिलिपि	हाँ	हाँ

अनुलग्नक III

A. बिल्डर/प्रोजेक्ट/कॉर्पोरेट ग्राहकों से संबंधित STRs की सचित्र सूची:

1. ग्राहक की कानूनी संरचना को कई बार बदल दिया गया है (नाम परिवर्तन, स्वामित्व का हस्तांतरण, कॉर्पोरेट सीट का परिवर्तन);
2. परियोजना की कुल लागत के मुकाबले एचएफएल के पास निर्माता द्वारा एक छोटा ऋण के लिए पहुंचना;
3. निर्माता परियोजना के लिए वित्त प्राप्त करने के स्रोतों की व्याख्या नहीं कर सकता।
4. विभिन्न प्राधिकरणों से मंजूरी/स्वीकृति का प्रमाणित झूठा होना या यह लगता है कि ग्राहक को आवश्यक सरकारी मंजूरी/फाइलिंग लेने की इच्छा नहीं है।
5. ऐसा प्रतीत होता है कि प्रबंधन अज्ञात या अनुचित व्यक्ति(व्यक्तियों) के निर्देशों के अनुसार कार्य कर रहा है;
6. कर्मचारियों की संख्या या संरचना व्यावसाय के आकार या प्रकृति के साथ मेल नहीं खाती है (उदाहरण के लिए, किसी कंपनी का टर्नओवर असामान्य रूप से उच्च होने के बावजूद कर्मचारियों और संपत्ति की संख्या)।
7. क्लाइंट्स जिनके बहु-प्रादेशिक कार्य होते हैं और जिनके पास पर्याप्त केंद्रीकृत कॉर्पोरेट निगरानी नहीं है।
8. कानूनी व्यवस्थाओं की स्थापना पर सलाह, जो स्वामित्व या वास्तविक आर्थिक उद्देश्य को अस्पष्ट करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है (जैसे ट्रस्ट, कंपनियाँ या नाम/कॉर्पोरेट सीट का परिवर्तन या अन्य जटिल समूह संरचनाएँ)।
9. ऐसे एन्टीज़ि जिनमें नकद या तुरंत हस्तांतरणीय संपत्तियों में उच्च स्तर की लेन-देन होती है, जिनमें अनैतिक धन को छिपाया जा सकता है।
10. उन क्लाइंट्स का संचालन जो ऐसे देशों में शामिल होते हैं जो बियरर शेयर्स की अनुमति देते हैं।

B. रिपोर्ट किए जाने वाले सीटीआर/एसटीआर लेनदेन की विस्तृत सूची (व्यक्तिगत ग्राहक)

1. ग्राहक संबंधित विवरण को कई बार बदल दिया गया है (नाम परिवर्तन, लगातार सुधार आदि)।
2. अप्रायोजक जटिल ग्राहक संरचना।
3. व्यवसाय प्रोफ़ाइल से असंबंधित या अपेक्षित गतिविधियों/लेन-देन के व्यक्ति या वर्ग।
4. ग्राहक जानकारी, डेटा, दस्तावेज़ प्रदान करने में अनिच्छुक है।
5. झूठे दस्तावेज़, डेटा, ऋण का उद्देश्य, खातों का विवरण प्रस्तुत करना।

6. आरंभिक योगदान के लिए आय के स्रोत का विवरण प्रदान करने से मना करता है, जिसका बैंक खाते में निधियों का स्रोत संदेहजनक होता है आदि।
7. व्यक्तिगत रूप से मिलने में अनिच्छुक, पर्याप्त कारण के बिना तीसरे पक्ष/अधिकारी धारक के माध्यम से प्रतिनिधित्व करता है।
8. अपर्याप्त कारणों के बिना, ग्राहक के आवासीय या व्यावसायिक पते से दूर एएचएफएल के शाखा/कार्यालय की ओर ग्रासंगिक नहीं होता है, जब दिए गए पते पर एएचएफएल शाखा/कार्यालय होता है।
9. बैंक खाते के बयान में कई स्थानांतरणों का व्याख्यान न कर सकना या उन्हें संतुष्ट करना, एकाधिक खातों में।
10. यदि फंड का स्रोत सही स्पष्टीकरण के बिना असंबंधित तीसरे पक्ष के खातों के माध्यम से किया गया हो।
11. ऋण राशि के अंतिम उपयोग के उचित स्पष्टीकरण के बिना टॉप-अप ऋण और/या पुनर्धन ऋण उपलब्ध कराना, और ऋण के अंतिम उपयोग के अनुपात में असंगति।
12. ऋण की मंजूरी के लिए आय के स्रोत के संदिग्ध साधनों का सुझाव देना।
13. जहाँ लेन देन का आर्थिक अर्थ नहीं है।
14. धोखाधड़ी का पता लगाया गया है; ग्राहक से किसी भी शाखा के द्वारा मिली नकली मुद्रा नोटों की NHB/RBI वृत्ति/अधिसूचनाओं के अनुसार रिपोर्ट की जानी चाहिए।
15. अज्ञात स्रोत से असामान्य वित्तीय लेन-देन।
16. असंबद्ध या अज्ञात तीसरे पक्षों से मिली भुगतान और शुल्कों के लिए नकद में राशि, जहाँ यह एक सामान्य भुगतान का तरीका नहीं होगा।
17. ऋण के वास्तविक लाभार्थी और खरीदी जाने वाले फ्लैट के बारे में गंभीर संदेह हैं।
18. कल्पित बैंक खाता खोलकर ऋण राशि का एनकेशमेंट।
19. पूर्व में वित्त पोषित किया गया है और यही बकाया है और इसे छपाने के बारे में जानते हुए ऋण के लिए आवेदन करना।
20. बिक्री के लिए अनुबंध में उल्लिखित बिक्री की विचारणीय मूल्य या नीचे होती है जो खरीद के क्षेत्र में प्रकाशित दरों में प्रसारित होती है।
21. एक ही संपत्ति/निवासी इकाई के लिए एकाधिक वित्त पोषित करना।
22. जो संबंध लेनदेन के साथ कोई संबंध नहीं है, उसके पक्ष में भुगतान के लिए अनुरोध किया जाता है।
23. ग्राहक द्वारा ऋण राशि का उपयोग विक्रेता/निर्माता/विक्रेता/एजेंट आदि के साथ सांग करके और जिस उद्देश्य के लिए निर्धारित किया गया है, उससे भिन्न उपयोग करना।
24. एनजीओ / चैरिटेबल संगठन / छोटे / मध्यम उद्यम (एसएमई) / स्व-सहायता समूह (एसएचजी) / माइक्रो वित्त समूह (एमएफजी) सहित एकाधिक वित्त पोषण / वित्त पोषण।
25. पता बदलने के लिए बार-बार अनुरोध।
26. आंशिक वास्तविकता के साथ किस्तों का अधिशेष भुगतान और अधिशेष राशि का वापसी का अनुरोध।
27. सरकार द्वारा सूचित दरों से उम्मीद से अधिक / कम कीमत पर रियल एस्टेट में निवेश।
